PERFECT 7

साप्ताहिक
समसामयिकी

अगस्त-2019 | अंक-1

भारत का चन्द्रयान-2

चन्द्रमा की पड़ताल का महत्वाकांक्षी मिशन

- संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी समितियों की अहमियत
- दल-विरोधी कानून एवं स्पीकर की भूमिका : एक विश्लेषण
- पॉक्सो (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक परिचय
- भारत-बांग्लादेश संबंध : एक मजबूत गठबंधन
- सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक मूल्यांकन
- राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...

with 122+ selection in CSE 2018

AIR 1 KANISHAK KATARIA

AIR 3 JUNAID AHMED

UDAAN
A journey to success

THINK ABOUT IAS/IPS JUST AFTER 12th

UPTO 100% SCHOLARSHIP

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM | 4 AUG 12 PM

Eligibility: Age Limits: 15-19 Years Age Group 12th Passed / Appearing Students

LUCKNOW (ALIGANJ)
0522-4025825, 7570009014
LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
7234000501, 7234000502

OLD RAJENDRA NAGAR

FOUNDATION BATCH 2020

OPEN CLASSES
27 JULY | 10:30 AM

FREE MAINS CSE ANSWER WRITING + REVISION 2019

ALL INDIA MAINS TEST SERIES 2019

with face to face evaluation

ECONOMIC SURVEY & BUDGET

22 JULY | 2:00 PM

ADMISSIONS OPEN FOR NEW SESSION 2019-20

General Studies Pre-cum-mains Batch

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)	20 JULY | 8:30 AM & 5:30 PM
LAXMI NAGAR (DELHI)	22 JULY | 10:30 AM & 27 JULY | 11 AM *(WEEKEND BATCH)*
GREATER NOIDA	13 AUG | 3:30 PM
LUCKNOW (ALIGANJ)	1 AUG | 6 PM
LUCKNOW (GOMTI NAGAR)	26 AUG | 5:30 PM
PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)	19 JULY | 11 AM
BHUBANESWAR	1 AUG | 7:30 AM & 6 PM

Face to Face Centre

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centre

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH**, **DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJARAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA, **MADHYA PRADESH** – GWALIOR, JABALPUR, REWA, **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA ,**RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BAREILLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH), LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

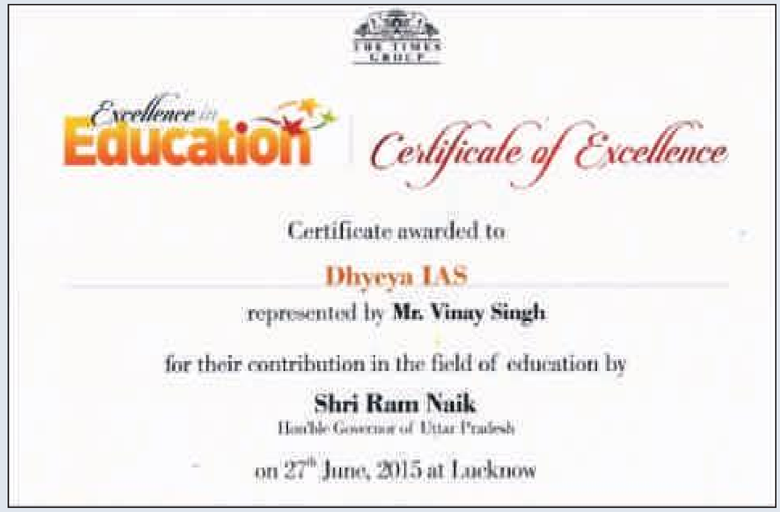

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अगस्त-2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत का चन्द्रयान-2 : चन्द्रमा की पड़ताल का महत्वाकांक्षी मिशन
- संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी समितियों की अहमियत
- दल-विरोधी कानून एवं स्पीकर की भूमिका : एक विश्लेषण
- पॉक्सो (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक परिचय
- भारत-बांग्लादेश संबंध : एक मजबूत गठबंधन
- सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक मूल्यांकन
- राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

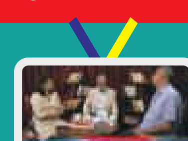

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत का चंद्रयान–2 : चन्द्रमा की पड़ताल का महत्वाकांक्षी मिशन

चर्चा का कारण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा चंद्रयान–2 को सफलतापूर्वक 22 जुलाई 2019 को देश के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी एमके–III (GSLV MK-III) से लॉन्च किया गया। चंद्रयान–2 की अब चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। लॉन्च के लगभग 16.23 मिनट बाद चंद्रयान–2 ने पृथ्वी से करीब 182 किमी की ऊंचाई पर जीएसएलवी एमके–III रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है।

हम चाँद पर क्यों जा रहे हैं

चंद्रमा पृथ्वी का नजदीकी अकाशीय पिण्ड है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं और इससे संबंधित आँकड़े भी एकत्र किए जा सकते हैं। यह गहन अंतरिक्ष मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी आजमाने का परीक्षण केन्द्र भी होगा। चंद्रयान–2, खोज के एक नए युग को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ बढ़ाने, प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देने, वैश्विक तालमेल को आगे बढ़ाने और खोजकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करने में भी सहायक होगा।

मिशन चंद्रयान–2

चंद्रयान–2 भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है, यह भारत का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है। यह 2008 में लॉन्च किये गए मिशन चंद्रयान का उन्नत संस्करण है। गौरतलब है कि चंद्रयान मिशन ने केवल चन्द्रमा की परिक्रमा की थी, परन्तु चंद्रयान–2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भी उतारा जायेगा।

इस मिशन के सभी हिस्से इसरो ने स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाये हैं। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर व रोवर शामिल हैं। इस मिशन में इसरो पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर रोवर को उतारने की कोशिश करेगा। यह रोवर चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करके चन्द्रमा की सतह के घटकों का विश्लेषण करेगा।

यह इसरो का ऐसा पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है, जिसमें इसरो किसी अन्य खगोलीय पिंड पर रोवर उतारेगा। इसरो के स्पेसक्राफ्ट (ऑर्बिटर) का वजन 3,290 किलोग्राम है, यह स्पेसक्राफ्ट चन्द्रमा की परिक्रमा करके डाटा एकत्रित करेगा, इसका उपयोग मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग के लिए किया जा रहा है।

6 पहिये वाला रोवर चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करके मिट्टी व चट्टान के नमूने इकठ्ठा करेगा, इससे चन्द्रमा की भू-पर्पटी, खनिज पदार्थ तथा हाइड्रॉक्सिल और जल-बर्फ के चिह्न के बारे में जानकारी मिलने की सम्भावना है। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान–2 का वजन 3,877 किलो ग्राम है।

चंद्रयान–2 के वैज्ञानिक उद्देश्य

इस मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चाँद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य चाँद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना है। इस मिशन का एक और उद्देश्य चाँद को लेकर हमारी समझ को और बेहतर करना और मानवता को लाभान्वित करने वाली खोज करना है।

चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियाँ दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह की व्यापक जानकारी जुटाकर इसकी संरचना में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ जुटाई जा सकेंगी। चंद्रमा पर पानी होने के सबूत तो चंद्रयान–1 ने खोज लिए थे, लेकिन अब यह पता लगाया जा सकेगा कि चाँद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है।

चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि चाँद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे क्रेटर्स (गड्ढों) में प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद है।

चंद्रयान–2 की विशेषता

जीएसएलवी मार्क–III: जीएसएलवी मार्क–III को इसरो के दूसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल माना जाता है। इसका निर्माण अंतरिक्ष में भारी पेलोड्स को पहुँचाने के लिए किया गया है। जीएसएलवी मार्क–III अपने आकार में काफी बड़ा और वजनी है इसलिए इसरो के वैज्ञानिक इसे 'फैट ब्वॉय' के नाम से भी बुलाते हैं। इसरो के वैज्ञानिक वर्षों की कड़ी मेहनत एवं अनुसंधान के बाद इस लॉन्चर को विकसित करने में सफल हुए हैं। गौरतलब है कि 1990 के दशक में अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी देने से इंकार कर दिया था जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक पर काम करना शुरू किया और कई वर्षों के बाद उन्हें स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने में सफलता हासिल हुई। अब तक केवल दो मौकों पर जीएसएलवी मार्क–III लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ है। 5 जून 2017 को संचार सैटेलाइट जीसैट–19 और उसके बाद जीसैट–29 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। जीएसएलवी मार्क–III का प्रायोगिक परीक्षण 2014 में किया गया था।

जीएसएलवी एमके-III इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसका नाम जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क-III है। यह चार टन वजनी सैटेलाइट ले जाने मे सक्षम है। इसका वजन 640 टन और ऊंचाई 43.43 मीटर है।

ऑर्बिटर: 2397 किलोग्राम वजन वाला ऑर्बिटर एक साल तक चाँद की परिक्रमा करेगा। इसमें आठ पेलोड लगे हैं, जो अलग-अलग प्रयोगों को अंजाम देंगे। यह ऑर्बिटर बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क (आरडीएसएन) से संपर्क साधने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह लैंडर के संकर्प में भी रहेगा।

लैंडर विक्रम: 1471 किलोग्राम वजनी लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस पर तीन पेलोड लगे हैं। यह दो मीटर प्रति सेकेण्ड की गति से चाँद की सतह पर उतरेगा। इसे चाँद की दिन की अवधि (धरती के हिसाब से 14 दिन) तक काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह लैंडर बेंगलुरु में आइडीएसएन के साथ-साथ ऑर्बिटर और रोवर से संपर्क स्थापित कर सकेगा।

रोवर प्रज्ञान: रोवर प्रज्ञान का नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। 27 किलोग्राम वजन वाले इस रोवर पर दो पेलोड लगे हैं। यह छह पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन है। सौर ऊर्जा की मदद से यह एक सेंटीमीटर प्रति सेकेण्ड की गति से चल सकेगा। इस पूरी अवधि में चाँद की सतह पर कुल 500 मीटर की दूरी तय करेगा।

चाँद पर लैंडिंग के बाद रोवर 15 से 20 दिनों तक चाँद की सतह से डेटा जमा करके ऑर्बिटर तक पहुंचाता रहेगा। ऑर्बिटर उस डेटा को इसरो को भेजेगा। लॉन्च के बाद 16 दिनों में ऑर्बिटर धरती के चारों ओर पाँच बार कक्षा बदलेगा।

रोवर चंद्रमा की चट्टानों को देखकर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे आदि खनिजों की तलाश करेगा।

इसरो के अन्य मिशन

- इसरो भविष्य में कुछ और महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिनमें खास है- मिशन गगनयान, मिशन वीनस, स्पेस स्टेशन बनाना और सूरज पर उपग्रह भेजने की तैयारी।
- मिशन गगनयान 2021 तक पूरा हो जाएगा। यह पहला देशी मिशन होगा, जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। इसका बजट करीब 10,000 करोड़ रुपये है।
- मिशन वीनस 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद स्पेस स्टेशन बनाने का काम शुरू होगा।

क्रायोजेनिक इंजन

जीएसएलवी मार्क-III के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों को करीब तीन दशक का समय लगा है। इस तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन को तरल अवस्था में प्राप्त करने के लिए क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी यह तकनीक अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान के पास है।

जीएसएलवी मार्क-III की सफलता से पहले जीएसएलवी के दूसरी पीढ़ी के दो रॉकेटों का प्रक्षेपण असफल हुआ। इनमें से एक रॉकेट में रूस का इंजन लगा था और दूसरे में स्वदेश निर्मित। इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता दिसंबर 2014 में उस समय मिली जब उन्होंने स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन से युक्त जीएसएलवी के तीसरी पीढ़ी का प्रायोगिक परीक्षण किया। जीएसएलवी के इस प्रायोगिक परीक्षण में पेलोड्स का भी इस्तेमाल किया गया।

वैश्विक चाँद मिशन

पिछले कुछ वर्षों से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेन्सी चन्द्रमा पर स्थायी मानव बस्ती बनाने पर जोर शोर से काम कर रही है। चीन पहले ही अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत चन्द्र अन्वेषण कर रहा है। वह अपने कार्यक्रम के तहत वर्ष 2007 तथा वर्ष 2010 में सफलतापूर्वक चन्द्रमा की कक्षा में अपने यान को भेज चुका है। इसके पश्चात वर्ष 2013 में लैंडर्स तथा रोवर भी चन्द्रमा पर उतार चुका है। चीन की सबसे हालिया चन्द्र मिशन चांग-4 है जिसने चन्द्रमा की सबसे दूर वाली सतह को छुआ था जहाँ तक अभी कोई भी यान नहीं पहुँच पाया था।

उल्लेखनीय है कि चीन ने 2020 तक चन्द्रमा के नमूने को पृथ्वी तक लाने तथा दक्षिणी ध्रुव के पास एक छोटा रोबोट अनुसंधान चौकी बनाने की योजना बनाई है।

रूस जो 1970 के दशक के मध्य लूना-24 मिशन को चन्द्रमा के लिए बनाया था वह सफल नहीं रहा इसलिए वह जल्द ही लूना-25 नामक चन्द्र मिशन की योजना बना रहा है जो संभवत: 2022 से 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने भी चन्द्र मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। फिलहाल इजराइल भी चन्द्रमा पर मिशन उतारने की तैयारी कर रहा है।

अंतरिक्ष में वर्चस्व की दौड़ में भारत

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चंद्रयान-2 के सफल लॉन्च से अंतरिक्ष में दबदबे की दौड़ में भारत की बड़ी ताकत बनने पर मुहर लगी है। अंतरिक्ष में वर्चस्व के लिए चीन ने तो एक अलग फोर्स बना रखी है। वह इसमें अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है और इसके लिए भारी निवेश कर रहा है। अमेरिका भी खाली हाथ नहीं बैठा है। उसने अगले पांच साल में चाँद के लिए तीसरे मानवयुक्त मिशन की योजना भी बनाई है।

आधी सदी पहले दुनिया ने रेडियो और टेलीविजन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कहते सुना था, 'यह एक इंसान के लिए छोटा कदम, लेकिन मानवता के लिए लंबी छलांग है।' चंद्रमा पर पांव रखते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने यह बात कही थी और इसके बाद हर देश ने 'मूनवॉक' का सपना देखा था। भारत इस सपने को सच करने के करीब पहुँच गया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो 7 सितंबर को सुबह 2 बजकर 58 मिनट पर वह यह करिश्मा करने वाले दुनिया के गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा। इससे पहले भारत 2014 में मंगलयान और इस साल मार्च में एंटी-सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट से इस क्षेत्र में अपना जौहर दिखा चुका है। बेशक, अगले 48 दिनों में किसी अनहोनी के कारण चंद्रयान-2 की असफलता से इनकार नहीं किया जा सकता। इजरायल का अंतरिक्षयान चांद पर उतरने के करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिरी लम्हे में वह मिशन फेल हो गया। अमेरिका और चीन के भी कई अभियान इसी तरह फेल हो चुके हैं और रूस के साथ भी ऐसा हो चुका है। हालांकि अगर चंद्रयान-2 फेल भी होता है तो वह भारत के लिए एक मामूली बाधा से अधिक कुछ नहीं होगा। इसरो के जरिये भारत अंतरिक्ष की सीमाओं को धकेलने की अपनी क्षमता और योग्यता साबित कर चुका है। देश की बैलेस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इसकी मिसाल है। इसी वजह से भारत आज दुनिया के कई देशों के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजने का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है।

इसरो ने 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के कापुस्तिन यान से महान भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर देश के पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। तब से भारत इस क्षेत्र में काफी लंबा सफर तय कर चुका है। इस उभरती हुई ताकत की नजर अब चाँद पर है।

चुनौतियाँ

- धरती से चाँद की दूरी करीब 3 लाख 84 हजार 400 किमी है। इतने लंबे सफर के लिए सबसे जरूरी सही मार्ग (ट्रैजेक्टरी) का चुनाव करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सही ट्रैजेक्टरी से चंद्रयान-2 को धरती, चाँद और रास्ते में आने वाली अन्य वस्तुओं की ग्रैविटी, सौर विकिरण और चाँद के घूमने की गति का कम असर पड़ेगा।
- धरती से ज्यादा दूरी होने की वजह से रेडियो सिग्नल देरी से पहुँचेंगे और देरी से जवाब मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष में होने वाली आवाज भी संचार में बाधा पहुँचाएंगे।
- चंद्रयान-2 को चाँद की कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं होगा। लगातार बदलते ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से चंद्रयान-2 को चाँद की कक्षा में पहुंचाने के लिए अत्यधिक सटीकता की जरूरत होगी। इसमें काफी ईंधन खर्च होगा। सही कक्षा में पहुँचने पर ही तय जगह पर लैंडिंग हो पाएगी।
- चंद्रयान-2 के लिए चाँद के चारों तरफ चक्कर लगाना भी आसान नहीं होगा। इसका बड़ा कारण है चाँद के चारों तरफ ग्रैविटी बराबर नहीं है। इससे चंद्रयान-2 के इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ सकता है इसलिए, चाँद की ग्रैविटी और वातावरण की भी बारीकी से गणना करनी होगी।
- इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर चंद्रयान-2 को रोवर और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। चाँद की कक्षा से दक्षिणी ध्रुव पर रोवर और लैंडर को आराम से उतारने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम और ऑनबोर्ड कंप्यूटर का काम मुख्य होगा। ये सभी काम स्वचालित होंगी।
- चाँद की सतह पर ढेरों गड्ढे, पत्थर और धूल हैं, जैसे ही लैंडर चाँद की सतह पर अपना प्रोपल्शन सिस्टम ऑन करेगा, वहाँ तेजी से धूल उड़ेगी। धूल उड़कर लैंडर के सोलर पैनल पर जमा हो सकती है, इससे पावर सप्लाई बाधित हो सकती है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सेंसर्स पर असर पड़ सकता है।
- चाँद का एक दिन या रात धरती के 14 दिन के बराबर होती है। इसकी वजह से चाँद की सतह पर तापमान तेजी से बदलता है। इससे लैंडर और रोवर के काम में बाधा आ सकती है।

आगे की राह

चन्द्रयान-2 की सफलता ने भारत को उन देशों की श्रेणियों में शामिल कर दिया है जो तकनीकी रूप से काफी विकसित हैं। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की साख को और अधिक बढ़ा दिया है। इससे न सिर्फ चन्द्रमा के बारे में जानना आसान हो जाएगा बल्कि भारत को तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत अब अपनी विकास की गाथा तेज गति से लिख रहा है जिसका एक बेहतर उदाहरण यह मिशन है। तमाम चुनौतियों और कठिनाईयों के बावजूद भी भारत का इस तरह का मिशन एक सराहनीय कदम है। अतः सरकार को वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा कर अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश करना चाहिए जिससे कि देश के वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

2. संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी समितियों की अहमियत

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद के जारी सत्र में पेश किये गये 22 विधेयकों में से 12 विधेयक पारित कर दिये गये हैं, जो कई वर्षों बाद देखा गया है। जहाँ एक ओर सरकार का मानना है कि यह सत्र अन्य सत्रों की अपेक्षाकृत काफी फलदायी रहा है, वहीं इसके विपरीत विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये सारे विधेयक संसदीय स्थायी समितियों की जाँच के बिना ही पारित हुए हैं, इसलिए सरकार द्वारा बहुमत का अनुचित फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो स्थायी समितियों की भूमिका की चर्चा किया जाना आवश्यक है।

परिचय

भारत के संसदीय प्रणाली में विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ अथवा डीआरएससी (Departmentally Related Standing Committees) बेहद खास हैं। ये समितियाँ विधेयकों की पड़ताल करने के साथ साथ अहम विषयों का चयन करती हैं। संसद में दलीय आधार पर गठित ये समितियाँ व्यापक परिप्रेक्ष्य के तहत रिपोर्ट सौंपती हैं। इनकी विशेषता यह है कि चर्चा या रिपोर्टों में कोई दलीय निष्ठा नहीं दिखती है। तमाम मसलों पर ये विशेषज्ञों और आम जनता की राय लेती हैं। दल-विरोधी कानून इन समितियों पर लागू नहीं होता। मीडिया की पहुँच से दूर समितियों की बैठकों में सदस्य खुलकर विचार विमर्श करते हैं और तमाम मुद्दों पर भी सहमति बना लेते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो संसदीय समितियाँ प्रभावी ढंग से मौजूदा हालात में काम कर रही हैं, गौरतलब है कि जो काम दरअसल संसद में होना चाहिए, किन्हीं कारणों से वह आज नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो सांसद अपने क्षेत्र की उन समस्याओं की चर्चा करना चाहता है, जिससे वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। किन्तु ऐसे में कई बार देखा गया है कि देश से जुड़े विभिन्न मुद्दें कहीं न कहीं प्रकाश में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में देश के असल सवालों को उठाने का मंच ये समितियाँ ही हैं।

संसदीय समितियों के प्रकार

अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित समितियां हैं जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (डीआरएससी) तथा कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब

वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।

संरचना एवं महत्त्व

वैसे तो संसद के दोनों सदनों के अपने दायरे में कई समितियाँ आती हैं लेकिन विभाग संबंधी 24 स्थायी समितियों की अलग अहमियत है। इनके दायरे में भारत सरकार के सभी विभाग और मंत्रालय आते हैं। विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ दो दर्जन हैं। हर समिति में शामिल 31 सदस्यों में से 21 लोकसभा और 10 राज्य सभा से आते हैं। इन सदस्यों को राज्य सभा के सभापति द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नाम निर्दिष्ट किया जाता है। समितियों में से आठ को राज्य सभा सचिवालय की ओर से जबकि 16 को लोकसभा सचिवालय की ओर से सेवा और सहायता दी जाती है। इन सभी समितियों का आरम्भ 1993 में हुआ। पहले 17 समितियाँ थीं जो 2004 में बढ़कर 24 हो गई।

संसद के दोनों सदनों में होने वाले तमाम अहम कामों की तरह समितियाँ भी बहुत से महत्व के कार्य करती हैं। इनके पास जो विधेयक भेजे जाते हैं उनकी पड़ताल करने के साथ विभागों से संबंधित कई अहम विषयों का चयन भी ये समितियाँ करती हैं। विभागों की अनुदान माँगों की जाँच के साथ समितियाँ तमाम शानदार कामों को अंजाम देते हुए संसद की मदद करती हैं। इनकी सिफारिशों पर भी सरकार काफी गंभीर रहती है। समितियों की मदद से तमाम सांसदों के ज्ञान और विशेषज्ञता का विस्तार होता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में डीआरएससी प्रणाली का प्रयोग बेहद कामयाब रहा है। इनके नाते अफसरशाही पर संसद की पकड़ भी बढ़ी है।

संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ

लोक लेखा समिति (Public accounts committee): यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई और यह अभी भी विद्यमान है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिये जाते हैं।

प्राक्कलन समिति (Estimates committee): संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है। इस समित का गठन सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertaking): 1963 में लंकासुंदरम समिति की सिफारिश के आधार पर इस समिति का गठन किया गया। 1964 में गठित इस समिति को लाने का श्रेय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर को जाता है। शुरू में इसमें 15 सदस्य होते थे। 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई जो वर्तमान समय तक प्रचलन में है।

विभागीय समितियाँ (Department Committee): लोकसभा की नियम समिति ने 1989 में विभागीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में तीन विषयगत समितियों कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की स्थापना की गयी।

संसद की तदर्थ समितियाँ

प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee): प्रवर समिति, तदर्थ समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति में अधिकतम 30 सदस्य तथा संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा से 30 तथा राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं।

किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए समिति: संसद सदस्यों की मांग पर किसी विशिष्ट मामलों का जांच कर रिपोर्ट देने के अलग-अलग या संयुक्त रूप से समितियों का गठन अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जा सकता है।

संसद की भूमिका में बदलाव

आज के परिप्रेक्ष्य में संसद का काम केवल विधि बनाना ही नहीं है। इसकी अनेक प्रकार की भूमिकाएं स्थापित होती हैं, जो परस्पर संबद्ध हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संसद की भूमिका कई रूपों में महत्वपूर्ण होती है जैसे कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकना, राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना तथा ऐसी नीतियों का निर्माण जो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को स्थापित करे। संसद एक सर्वोच्च विधायिका के रूप में है जो लोक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अतः संसद से अपेक्षा होती है कि वह लोकमत का प्रतिनिधित्व करे। जनतांत्रिक शासन प्रणाली की नींव इसी सिद्धांत को बतलाता है लेकिन हाल के दिनों में संसद की भूमिका में विपथगमन दृष्टिगोचर होता है। इसे कई बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है। पिछले दो दशकों से संसदीय कार्यप्रणाली के अवमूल्यन का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है। सांसदों में बढ़ती अनुत्तरदायितत्व की भावना, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, जातिवाद, सदन में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरूपयोग, हिंसक कार्यवाही, सदन के भीतर घेराव, विरोधी दल के नेताओं के लिए अपमान सूचक शब्दावली का प्रयोग, दस्तावेजों को नष्ट करने, संसदीय कार्यवाही को शोर-शराबों तथा हंगामों से ठप्प करना, सभापति के आसन तक पहुँच जाना आदि घटनाएं लोकतांत्रिक आदर्श और गौरवपूर्ण संसदीय परंपराओं को क्षति पहुँचा रही हैं।

वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत संसद में सदस्यों की स्वतंत्र स्थिति होती है जो लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलीय अनुशासन व्यवस्था के विकास से स्वतंत्रता की इस संकल्पना का हनन हुआ है। सदस्यों की निष्ठा और समर्थन दल के प्रति होता है। संसद में स्वस्थ नीतियों के अन्तर्गत कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समझे जाने की आवश्यकता है। संसद का एक प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना। विधि निर्माण में कई चरण होते हैं, जिसमें उस विधि के प्रमुख पक्षों पर चर्चाएं होती हैं। सदस्यों के कई प्रकार के सुझाव आते हैं। इससे विधि को सम्यक् लोक आकांक्षाओं के अनुरूप भी बनाया जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ विधान की प्रवृत्तियों से संसद की उस भूमिका का ह्रास हुआ है। उसके अन्तर्गत कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। सरकारी कार्यों का स्वरूप इतना जटिल हो गया है कि विधेयकों के निर्माण में तकनीकी एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जिसे सरकारी सदस्य ही अधिकांशतः पूरी कर पाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट व्यवस्था का विकास हुआ है। शासन व्यवस्था में निर्णय लेने एवं विधि के निर्माण में कैबिनेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वास्तव में जो कार्य विधायिका का है उसे कुछ अर्थों में कैबिनेट करती है। इससे भी संसद की भूमिका में

पतनोन्मुखता आई है। संसदीय संस्कृति का पतन हुआ है। वाद-विवाद के स्वरूप का स्तर गिर गया है। संसद से अपेक्षा की जाती है कि वह लोकतंत्र की गरिमा की अभिव्यक्ति करे किंतु आए दिन संसद में कोलाहल की स्थिति, संसदीय संस्कृति के व्यवहार एवं प्रयुक्त भाषा आपत्तिजनक होती है जिसे लोकमर्यादा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता।

समितियाँ कितनी प्रभावी होती हैं

1993 से पहले विधेयकों की जाँच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए प्रवर समितियों का गठन समय-समय पर कर लिया जाता था। इन समितियों की बैठकों में अन्य मामलों और बजटीय मामलों की भी जाँच नहीं की जाती थी। हरेक विभागीय स्थायी समिति (DRSC) कुछेक मंत्रालयों पर ही केंद्रित रहती है और यही कारण है कि सदस्यों को संबंधित क्षेत्र का ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। आम तौर पर विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) की बैठकों में विधेयकों की समीक्षा करते समय अनेक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन व्यापक प्रभाव वाले विधेयकों के मामले में भी हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 की समीक्षा करने वाली विभागीय स्थायी समिति (DRSC) ने भी किसी विशेषज्ञ को साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया था। यही वह विधेयक है, जिसमें छः से चौदह वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की गारंटी दी गई थी। दूसरी बात यह है कि सभी विधेयक समितियों को नहीं भेजे गए थे। जहाँ एक ओर यूपीए के अंतिम दो कार्यालयों के दौरान क्रमशः 60 और 71 प्रतिशत विधेयक समितियों को भेजे गए थे, वहीं 2017 में संसद में प्रस्तुत केवल 27 प्रतिशत विधेयक ही समितियों को भेजे गए।

वैसे तो नियम यही है कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा ही विधेयक समितियों को भेजा जाए, लेकिन सामान्यतः इसे संबंधित मंत्री की सिफारिश पर ही भेजा जाता है। राज्यसभा की संरचना कुछ ऐसी है कि कुछ मामलों में तो इससे संवीक्षा या छानबीन करने में मदद ही मिलती है। मौजूदा सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है। ऐसे मौके कई बार आए हैं जब लोकसभा में पारित हो जाने के बाद भी राज्यसभा ने प्रवर समिति गठित की है ताकि संबंधित विधेयकों की बारीकी से जाँच की जा सके। इतना ही नहीं, संविधान में संशोधन के लिए अपेक्षित वस्तु व सेवा कर (GST) जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी विभागीय स्थायी समिति (DRSC) को भेजे बिना ही लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। राज्यसभा द्वारा प्रवर समिति गठित की गई और उसकी अनेक सिफारिशों को विधेयक में शामिल करने के बाद ही विधेयक पारित किया जा सका। तीसरी बात यह है कि इन समितियों की सिफारिशें मानना भी बाध्यकारी नहीं होता। सरकार या कोई अन्य सदस्य संबंधित संशोधनों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है और फिर सदन द्वारा मतदान करके इसे पारित किया जाता है। इसके पीछे मंशा यही है कि समितियाँ संसद का ही एक छोटा भाग होती हैं, जिनका काम है संबंधित मुद्दे की जाँच करके सिफारिशें देना। उसके बाद पूरे सदन को यह अधिकार है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वह इस संबंध में अंतिम निर्णय ले। यूपीए सरकार की पाँच वर्ष की कालावधि में सरकार ने समितियों की 54 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार की थीं और विभागीय स्थायी समिति (DRSC) ने 13 प्रतिशत मामलों में संतोष प्रकट किया था, 21 प्रतिशत मामलों में उनकी प्रतिक्रिया को निरस्त कर दिया था और 12 प्रतिशत मामलों में उन्हें प्रतिक्रियाएँ ही नहीं मिलीं।

विभागीय समितियों की कमियाँ

इन समितियों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास स्थायी अनुसंधान के लिए कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं है। संसद का सामान्य सपोर्ट स्टाफ ही इन समितियों को भी सपोर्ट करता है। इनके पास शोधकर्ताओं के रूप में पूरी तरह से समर्पित स्टाफ नहीं होता। हालाँकि ये समितियाँ बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएँ ले सकती हैं और वे अकसर ऐसा करती भी हैं, लेकिन इनका अपना कोई आंतरिक विशेषज्ञ नहीं होता, जो इनकी समस्याओं को सूक्ष्म रूप में समझ सके। एक संबंधित मुद्दा यह भी है कि संसद के सदस्यों में बार-बार भारी बदलाव भी होता रहता है। पिछली तीन लोकसभाओं में प्रत्येक में 50 प्रतिशत से अधिक सांसद पहली बार लोकसभा में चुनकर आए थे। जहाँ एक ओर कई अनेक अनुभवी सांसद मंत्री बन गए, वहीं सांसदों का एक छोटा-सा वर्ग बहुत लंबे समय तक समिति का सदस्य रहने के कारण संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करता रहा।

अंतिम मुद्दा है, समिति के कार्यसंचालन में पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा। सभी समितियों की बैठकें बंद दरवाजों में होती है। उनकी केवल अंतिम रिपोर्ट ही प्रकाशित होती है, जिसमें संक्षेप में कार्यवृत्त दिये जाते हैं। इस बात को लेकर भी बहस होती रही है कि इनकी बैठकों की कार्यवाही को भी (संसदीय कार्यवाही की तरह) टी.वी. पर सीधे प्रसारित किया जाना चाहिए या फिर कम से कम उसके ट्रांसक्रिप्ट को ही प्रकाशित कर दिया जाए। इसके विरोध में तर्क यह भी दिया जा सकता है कि समितियाँ चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं और अकसर आम सहमति भी बना ली जाती है। यह तभी संभव हो पाता है जब सदस्यों पर एक खास तरह की सोच के अनुरूप अपनी राय व्यक्त करने का कोई दबाव नहीं होता। अगर विस्तृत कार्यवाहियों को सार्वजनिक किया जाने लगे तो इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। मध्यम मार्ग यही हो सकता है कि विभिन्न विशेषज्ञों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की प्रस्तुतियों और साक्ष्य को ही प्रकाशित कर दिया जाए ताकि सदस्यों को चुनाव क्षेत्र के दबाव से मुक्त करते हुए उनके विचारों को अधिक पारदर्शी रूप में देखा जा सके।

निष्कर्ष

भारत के संसदीय अनुभव में विभागीय स्थायी समिति (DRSC) प्रणाली का प्रयोग बहुत कामयाब रहा है। संबंधित मुद्दों की ब्यौरेवार जाँच की क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है ताकि कानून बनाने और जवाबदेही के लिए संसदीय कार्यों को बेहतर बनाया जा सके। इनमें निम्नलिखित कामों को शामिल किया जा सकता है, सभी विधेयकों की अनिवार्य जाँच, अनुसंधान दलों का गठन और पक्षपोषण करने वाले दलों से प्राप्त तथ्यों और विचारों को सामने रखकर इनके कार्य-संचालन में सुधार लाया जा सके तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। कई सांसद इन समितियों को 'लघु संसद' भी कहते हैं और इनको सुदृढ़ करने से इसका सीधा प्रभाव संसद की समग्र कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

3. दल–बदल विरोधी कानून एवं स्पीकर की भूमिका : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस–जेडीएस सरकार गिरी है उससे दल–बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) की पुनर्समीक्षा की मांग होने लगी है। इस तरह की घटनाएँ सिर्फ इसी राज्य में नहीं बल्कि कमोबेश भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिल रही हैं। इसी का परिणाम है कि देश में दल–बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता को लेकर चर्चा होने लगी है।

दल-बदल विरोधी कानून

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल–परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया 'दल–बदल कानून' कहा जाता है।

बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया अर्थात अब विभाजन के मामले में दल–बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जायेगी, बशर्ते कि ऐसे विभाजन में संबंधित दल के कम से कम एक–तिहाई सदस्य शामिल हों (अनुसूची–10, पैरा–3)।

अधिनियम के उपबंध

दसवीं अनुसूची में दल–परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरर्हता साबित हो सकती है, जैसे- किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निरर्हक माना जाएगा- (i) यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा (ii) यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने पंद्रह दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो, उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

हालाँकि दल–परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होती–

(i) यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब एक–तिहाई सदस्य मिलकर सदन में एक नये दल का गठन कर लेते हैं।

(ii) यदि कोई सदस्य 'विलय' (Merger) के परिणामस्वरूप एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाता है, परंतु ऐसा विलय तभी वैध माना जाएगा जब उस दल के कम से कम दो–तिहाई सदस्य अलग होकर नये दल में विलय करें। उल्लेखनीय है कि ऐसी दशा में जो सदस्य विलय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते, उनकी सदस्यता पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।

गौरतलब है कि यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है।

अधिनियम की विशेषताएँ

दल–बदल विरोधी कानून की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है–

- यदि एक व्यक्ति को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 102(2) के तहत किया गया है।
- यदि एक व्यक्ति को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 191(2) के तहत किया गया है।

दल-बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम है और वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद ही राजनीतिक दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। इस स्थिति ने राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता ला दी।

1960–70 के दशक में ऐसा भी देखा गया, जब नेताओं ने एक दिन में दो–दो दल बदले। 30 अक्टूबर, 1967 को हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक दिन के भीतर दो दल बदले। उन्होंने 15 दिन में तीन दल बदले थे। गया लाल पहले कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए और अगले नौ घंटे के भीतर दोबारा जनता पार्टी में लौट गए।

जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया, तब कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह उन्हें चंडीगढ़ ले गए, जहाँ उन्होंने गया लाल का परिचय 'आया राम–गया राम' के तौर पर कराया। इसके बाद आया राम–गया राम को लेकर तमाम चुटकुले और कार्टून बने और 'आया राम गया राम स्लोगन चर्चा में आ गया।

इसके बाद ही राजनीतिक दलों को मिले जानादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने और अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। परिणामस्वरूप 1985 में 52वें संविधान संशोधन के रूप में दल–बदल विरोधी कानून अस्तित्व में आया। हालाँकि कुछ वर्ष बाद इस कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2003 में 91वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया जिसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं–

(i) दल–बदल करने वाले सांसद एवं विधायक की सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

(ii) दल–बदल करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकेगे।

(iii) सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुन: चुनाव जीतना होगा।

(iv) मंत्रिपरिषद् का आकार केन्द्र एवं बड़े राज्यों में लोकप्रिय सदन की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत ही हो सकेगा।

दल-बदल विरोधी कानून निम्न आधार पर लागू नहीं होगा

- सदन के सदस्यों की सदस्यता तब समाप्त नहीं होती, अगर सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य राजनीतिक दल के

विभाजन के परिणामस्वरूप उसकी सदस्यता का परित्याग करते हैं या 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं और पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का निश्चय करते हैं तथा बाद में उनका विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाता है।

- लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति चाहे तो अपने निर्वाचन के पश्चात् अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। किन्तु एक बार इस्तीफा देने के बाद पद पर रहते हुए वे पुनः पार्टी में शामिल होते हैं तो अयोग्य घोषित किये जाते हैं। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करेगा।
- यदि किसी सांसद को पार्टी द्वारा निष्कासित किया जाये।
- यदि किसी राजनैतिक पार्टी का अन्य दल में विलय हो रहा है और यदि उसका कोई सदस्य उससे बाहर होना चाहता है तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, साथ ही, कोई पार्टी किसी सदस्य की पार्टी सदस्यता समाप्त कर दे तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी।

स्पीकर (अध्यक्ष) का अधिकार

दल-बदल कानून लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं। मूल प्रावधानों के तहत अध्यक्ष के किसी निर्णय को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया और किसी न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने नागालैंड के किरोतो होलोहन (1990) मामले में इस प्रावधान को खारिज कर दिया। न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि 'न्यायिक समीक्षा' भारतीय संविधान के मूल ढाँचे में आती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ वर्तमान में कर्नाटक में देखने को मिला।

कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पार्टी व्हिप को नहीं मानने के कारण अयोग्य करार दिया गया।

किस आधार पर अयोग्य ठहराए जा सकते हैं विधायक/सांसद

- अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है।
- अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- अगर कोई सदस्य सदन में पार्टीलाइन के खिलाफ जाकर वोट करता है।
- अगर कोई सदस्य खुद को वोटिंग से अलग रखता है।
- छह महीने की समाप्ति के बाद अगर कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- अगर कोई सदस्य स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

दल-बदल विरोधी कानून पर समिति

आयोग्यता संबंधी निर्णय पर वर्ष 2002 में दिनेश गोस्वामी समिति और न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली संविधान समीक्षा समिति ने राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा चुनाव आयोग से एक ठोस निर्णय की सिफारिश की थी।

दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि अयोग्यता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहाँ (ए) एक सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, (बी) एक सदस्य वोट देने से परहेज करता है, या वोट के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी व्हीप के विपरीत वोट करता है।

विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट के अनुसार चुनाव पूर्व चुनावी मोर्चो (गोलबंदी) को दलबदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक दलों के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो।

अधिनियम का मूल्यांकन

दल-बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना गया है। इसने विधायकों या सांसदों को राजनैतिक माइंड सेट के साथ नैतिक और समकालिक राजनीति करने को मजबूर कर दिया है। दल-बदल विरोधी कानून ने राजनेताओं को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दल-बदल करने के लिए हतोत्साहित किया। हालाँकि, इस अधिनियम में कई कमियाँ भी हैं और यहाँ तक कि यह कई बार दल-बदल को रोकने में विफल भी रहा है। इसलिए इसके संबंध में पक्ष-विपक्ष का वर्णन करना अवश्यक है।

पक्ष में तर्क

- पार्टी के प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने से सरकार को स्थिरता प्रदान करता है।
- पार्टी के समर्थन के साथ और पार्टी के घोषणापत्रों के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है।
- इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देता है।
- विरोधी दलबदल के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा प्रदान करता है।
- इससे राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है।
- शासन पर अधिक एकाग्रता संभव है।
- यह किसी पार्टी को दोषी सदस्यों के लिए दण्डात्मक कार्यवाही का अधिकार प्रदान करता है।

विपक्ष में तर्क

- दल-बदल विरोधी कानून को गैर लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि यह जन-प्रतिनिधियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है।
- यह जनप्रतिनिधियों के दलगत से ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र विचार को रखने व कार्य करने से रोकता है।
- जनप्रतिनिधि विरोधी कानून पार्टी के विचारों व कार्यों को ही लागू करने के लिए सदस्यों को बाध्य करता है चाहे उसपर उनका विचार मिले क्यो न हो।
- कई बार जनप्रतिनिधि इस कानून की वजह से अपने क्षेत्र के लोगों और परिस्थितियों के अनुसार अपना मत व्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके दल का मत उससे भिन्न हो सकता है।

आगे की राह

- अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए क्योंकि विरोधी दोष कानून के अनुसार स्पीकर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है।

- अधिक कठोर और प्रभावी कानून समय की आवश्यकता है।
- इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है।
- सत्ता का उचित विभाजन विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होना चाहिए। इस्तीफे के बाद भी अयोग्यता प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।
- दलबदल-विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधायकों के पक्ष में बदलाव न करके एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए।
- जब कोई व्यक्ति दल-बदल करे तो उसे निश्चित अवधि तक मंत्रीपद न मिलने संबंधी कानून बनाना चाहिए।
- दलबदल के संबंध में स्पीकर के निर्णय लेने की शक्ति की समीक्षा होनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

4. पॉक्सो (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक परिचय

चर्चा का कारण

हाल ही में राज्यसभा ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 {POCSO (Amendment) Bill, 2019} को मंजूरी प्रदान की है।

यह विधेयक 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' में संशोधन करता है। यह अधिनियम यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का उपबंध करता है।

परिचय

बचपन सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि कई कोरे पन्नों को रंग-बिरंगी यादों के साथ एक बस्ते में सजाये रखने का नाम है। जब हम किसी बच्चे को हँसते, खेलते और खिलखिलाते देखते हैं तो हमारा मन खुशी से भर जाता है और जीवन की एक नई राह दिखाई देने लगती है। साथ ही लगता है कि एक बार फिर से बचपन में जाकर उन शरारतों को दोहराया जाये। दरअसल प्रत्येक बच्चे को खुलकर जीने का अधिकार है लेकिन जब समाज और अपनों के बीच में ही मौजूद कुछ लोग अपनी गंदी हरकतों से मासूम और निर्दोष बच्चों से खिलवाड़ करते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं तो ये नाजुक फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। गौरतलब है कि जीवनभर उन्हें उन घिनौनी और कड़वी यादों के साये में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि कई बार तो पीड़ित बच्चे इस अवसाद के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) लागू किया गया, परंतु इससे वांछित परिणाम न मिलने के कारण इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पॉक्सो संशोधन विधेयक, 2019 लाया गया है। इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केन्द्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को मंजूरी दी है। अभी तक 18 राज्यों ने ऐसी अदालतों के गठन के लिए अपनी सहमति जतायी है।

पृष्ठभूमि

देश में 2012 से पहले बाल यौन शोषण पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों से जुड़े मामलों की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार की धारा 375, महिला की गरिमा का हनन धारा 354 और अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 जैसी धाराओं के अंतर्गत की जाती थी। यह कानून बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया थी।

वर्ष 2013 से पहले बलात्कार की परिभाषा अलग थी, उदाहरणस्वरूप पहले केवल पुरुष जननांग द्वारा जबरन या असहमति से किया गया संभोग ही बलात्कार कहलाता था। इस प्रकार महिला या बच्ची की योनि में अन्य अंग या वस्तु डालना बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं था। इस मामले के बाद महिला और बाल अधिकार संस्थाओं ने कानून बदलने की माँग की। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से ऐसे मामलों को देखते हुए कहा कि बाल यौन शोषण के मुद्दे को हल करने के लिए बलात्कार की परिभाषा को बदलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि संसद को इस पर विशेष कानून बनाना चाहिए।

भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संविदा को स्वीकृति देते हुए तीन कानून पारित किए थे-

- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट)

संशोधित विधेयक की आवश्यकता क्यों

इस विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न अपराधों के लिए सजा में इजाफे की खातिर मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और बालकों की सुरक्षा और गौरवपूर्ण बचपन सुनिश्चित हो सकेगा।

गौरतलब है कि मूल कानून में बाल यौन अपराधों की प्राथमिकी दर्ज होने में 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करने और 1 साल के भीतर मुकदमा पूरा करने का प्रावधान है। सरकार ने यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार किया है। इसके अंतर्गत 6,20,000 अपराधी हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्तियों को रोजगार पर रखता है तो संबंधित व्यक्ति के बारे में इस डाटा बेस से जानकारी लेने में मदद मिलेगी।

पॉक्सो अधिनियम, 2012

पॉक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत बच्चे को 18 साल की कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और हर स्तर पर बच्चों के हितों और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। यह कानून लैंगिक समानता पर आधारित है।

इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

यह सर्वविदित है कि स्कूल, पड़ोस, ट्यूशन और कई बार घर के अंदर बच्चों के साथ वो घिनौना व्यवहार होता है जिसका दर्द एक मासूम बच्चा जीवन भर महसूस करता है। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण और जघन्य अपराध के मामलों ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया और इसलिए 2012 में सख्त कानून लाया गया। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 यानी POCSO Act लागू किया गया। भारत में बाल यौन शोषण के फैलाव का अंदाजा कुछ सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सर्वेक्षणों एवं रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। भारत सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2006 के अनुसार भारत में 53.22 फीसदी से ज्यादा बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का यौन शोषण होता है।

इनमें से 50 फीसदी मामलों में शोषण परिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर बच्चा विश्वास करता है या जिसका बच्चे के ऊपर प्रभाव होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 बच्चा बलात्कार का शिकार होता है और लगभग प्रत्येक वर्ष 7200 से ज्यादा बच्चों व शिशुओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ होती हैं। वर्ष 2013 में ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) की रिपोर्ट 'ब्रेकिंग द साइलेंस- चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया' ने यह बताया कि 2001 से 2011 के बीच भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में 336 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही हमारे समाज में बच्चों के साथ यौन शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। आँकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में बाल यौन शोषण किसी विशेष उम्र, लिंग, समुदाय, जाति वर्ग या धर्म में सीमित नहीं है। यह सभी जगह एक समान रूप से फैला हुआ है।

संशोधित विधेयक के प्रमुख प्रावधान

पेनेट्रेटिव यौन हमला: इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने (i) किसी बच्चे के वेजाइना, मुँह, यूरेथ्रा या एनस में अपने पेनिस को डाला (पेनेट्रेट किया) है, या (ii) वह बच्चे से ऐसा करवाता है, या (iii) बच्चे के शरीर में कोई वस्तु डालता है, या (iv) अपना मुँह बच्चे के शरीर के अंगों को लगाता है, तो उसे 'पेनेट्रेटिव यौन हमला' कहा जाता है। ऐसे अपराधों के लिए सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस बिल में न्यूनतम सजा को सात से दस वर्ष तक किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर पेनेट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है।

गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला: इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर यदि पेनेट्रेटिव यौन हमला करते हैं तो उसे 'गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला' माना जाएगा। साथ ही इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहाँ अपराधी बच्चे का संबंधी हो, या हमले से बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स घायल हो जाएँ या बच्ची गर्भवती हो जाए इत्यादि। बिल गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और जोड़ता है। इनमें (i) हमले के कारण बच्चे की मौत और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया यौन हमला शामिल है।

वर्तमान में गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बिल में न्यूनतम सजा को दस वर्ष से 20 वर्ष और अधिकतम सजा को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

गंभीर यौन हमला: यदि कोई व्यक्ति पेनेट्रेशन के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है तो 'गंभीर यौन हमले' में शामिल माना जाएगा, जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है या जिनमें बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स घायल हो जाते हैं, इत्यादि। इस बिल में गंभीर यौन हमले में दो स्थितियों को और शामिल किया गया है। इनमें (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हार्मोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना शामिल है।

पोर्नोग्राफिक उद्देश्य: इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी प्रकार के मीडिया में बच्चे का इस्तेमाल करता है तो वह पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने का दोषी पाया जाएगा। इस एक्ट में उन लोगों को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है, जो पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर यौन हमला करते हैं।

पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज: इस एक्ट में कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इस अपराध के लिए तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। यह बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है। इस बिल के अनुसार इस अपराध के लिए तीन से पाँच वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री के स्टोरेज से जुड़े दो और अपराधों को जोड़ा गया है। इनमें (i) बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट, डिलीट या रिपोर्ट करने में असफलता और (ii) ऐसी किसी सामग्री को ट्रांसमिट, प्रचारित या प्रबंधित करना (ऐसा सिर्फ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया जा सकता है) शामिल है।

बाल यौन शोषण हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

- उच्चतम न्यायालय ने सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमों के लिए केंद्र से वित्तपोषित विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया है। ये अदालतें उन जिलों में गठित की जाएंगी जहाँ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत 100 या इससे अधिक मुकदमे लंबित हैं।
- प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया है कि पॉक्सो के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए इन अदालतों का गठन 60 दिन के भीतर किया जाए। इन अदालतों में सिर्फ पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की ही सुनवाई होगी।
- पीठ ने कहा कि केंद्र पॉक्सो कानून से संबंधित मामलों को देखने के लिए अभियोजकों और सहायक कार्मिकों को संवेदनशील बनाएं तथा उन्हें प्रशिक्षित करे। न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों में समय से फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाए।
- पीठ ने केंद्र को इस आदेश पर अमल की प्रगति के बारे में 30 दिन के भीतर रिपोर्ट

पेश करने और पॉक्सो अदालतों के गठन और अभियोजकों की नियुक्ति के लिए धन उपलब्ध कराने को कहा है।

- देश में बच्चों के साथ हो रही यौन हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चों के बलात्कार के मामलों के और अधिक राष्ट्रव्यापी आँकड़े एकत्र करने से पॉक्सो कानून के अमल में विलंब होगा।
- पॉक्सो से संबंधित मामलों की जाँच तेजी से करने के लिए प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने संबंधी न्याय मित्र वी. गिरि के सुझाव पर पीठ ने कहा कि इसे लेकर इंतजार किया जा सकता है और इस बीच, राज्य सरकारें यह सुनिश्चत करेंगी कि ऐसी रिपोर्ट समय के भीतर पेश हो ताकि इन मुकदमे की सुनवाई तेजी से पूरी हो सके।

सरकारी प्रयास

गौरतलब है कि कानूनी मोर्चों के अलावा अलग-अलग स्तर पर भी पहल करने की सख्त जरूरत है, जो संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को बच्चों के हित की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे छोटी उम्र और दूसरों पर निर्भरता की वजह से समाज में अन्य लोगों की तुलना में कमजोर होते हैं। इसके अलावा संविधान में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं- अनुच्छेद 39(ङ) में राज्य पर यह जिम्मा डाला गया है कि वह बच्चों और युवाओं को सभी तरह के शोषण से बचाएँ।

अनुच्छेद 39(च) के अनुसार, राज्य द्वारा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएं और बालकों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संविदा के अनुच्छेद 3 के मुताबिक परिवार, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाओं और सरकार पर बच्चों के हित को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस संविदा के अनुच्छेद 5 के मुताबिक 0-18 वर्ष के बच्चों के माता-पिता, अन्य परिवारजन और परिवारोत्तर संस्थाओं का दायित्व है कि वे बच्चों की उभरती क्षमताओं का सम्मान करें और इसके अनुच्छेद 12 के अनुसार बच्चे शैक्षणिक, कामकाजी और सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करें।

साथ ही इस संविदा के अनुच्छेद 18 के अनुसार, परिवार, समाज, राज्य और अन्य संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शारीरिक और मानसिक हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण जिसमें यौन शोषण भी शामिल है, से रक्षा करें।

आगे की राह

इस संशोधन से इस अधिनियम में कठोर दंड देने के प्रावधानों को शामिल करने के कारण बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने में सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे प्राकृतिक आपदा के समय निरीह बच्चों के हित का संरक्षण होगा और उनकी सुरक्षा और मर्यादा सुनिश्चित होगी। इस संशोधन का उद्देश्य यौन अपराध और दंड के पहलुओं के संबंध में स्पष्टता स्थापित करना है।

सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इस बात को प्रोत्साहन दे रही है कि बच्चे अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के बारे में निडर होकर शिकायत करें और अपने अभिभावकों को बता सकें। अकसर ये देखा जाता है कि बच्चियों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की शिकायत तो की जाती है लेकिन बच्चे (Male Child) के खिलाफ यौन अपराधों के मामले में शिकायत नहीं की जाती। इस विधेयक के जरिए कानून को 'जेंडर न्यूट्रल' बनाया जा रहा है जो अच्छा कदम हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

5. भारत-बांग्लादेश संबंध : एक मजबूत गठबंधन

चर्चा का कारण

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन की यात्रा संपन्न की। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद शेख हसीना की यह पहली चीन यात्रा थी। बांग्लादेश, चीन का रणनीतिक साझेदार है इसलिए भारत की नजर शेख हसीना की इस यात्रा पर रही। चूंकि बांग्लादेश भारत का परंपरागत मित्र रहा है इसलिए वर्तमान में चीन के प्रति उसका झुकाव भारत के लिए एक विचारणीय विषय है। यही कारण है कि भारत दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों पर अपनी नजर रखे हुए है।

पृष्ठभूमि

एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश 1971 में बना तथा इसको मान्यता प्रदान करने वाला भारत पहला देश था। दिसंबर, 1971 में इसकी आजादी के शीघ्र बाद इस देश के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच काफी समानताएँ हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं, जैसे- साझी ऐतिहासिक एवं सामान्य विरासत, भाषायी एवं सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य एवं कला आदि। ये समानताएँ हमारे बहुआयामी एवं विस्तृत हो रहे संबंधों में परिलक्षित होते हैं।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान में भारत-बांग्लादेश के बीच रिश्ता एक नए मुकाम तक पहुँचता नजर आ रहा है क्योंकि पिछले वर्ष भारत, बांग्लादेश और रूस के बीच हुए 'परमाणु समझौते' को दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में यह समझौता काफी फायदेमंद है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस समझौते का फायदा यह होगा कि पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित करने में बांग्लादेश को काफी सहूलियत मिलेगी साथ ही भारत के सहयोग से 100 मेगावाट के पावर ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता 500 मेगावाट तक हो जाएगी।

पलटाना के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया था,

जिसका महत्त्व आने वाले समय में और भी बढ़ेगा जिसके फलस्वरूप भारत-बांग्लादेश के सम्बन्ध ऐतिहासिक रूप से और मजबूत होंगे। बांग्लादेश के ऊर्जा संयंत्र (Power Plant) को खड़ा करने में तकनीकी मदद करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों रिलायंस, शपूरजी पलोनजी और अडानी के साथ सरकारी कंपनी भेल (BHEL) ने भी हिस्सा लिया था। इस समझौते में बांग्लादेश को एलपीजी और एलएनजी देने का मुख्य मकसद भी जुड़ा है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नए ट्रांसपोर्ट मार्ग खुलेगा, जो बांग्लादेश से होकर जायेगा। इससे उत्तर भारत के राज्यों और भारत के मुख्य भू-भाग के बीच दूरी भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के सम्बन्ध सिर्फ व्यापारिक ही हैं, बल्कि जब वर्ष 2017 में बांग्लादेश ने 1971 में वार क्राईम के लिए एक मुस्लिम कट्टरपंथ नेता को फांसी पर लटकाया तो पाकिस्तान और जॉर्डन ने अपने राजदूत वापस बुला लिए, लेकिन भारत बांग्लादेश के पीछे मजबूती से खड़ा रहा।

जाहिर है, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक भूमिका कहीं ज्यादा अहम है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवा की भी शुरूआत हुई है। पिछले दिनों, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये, वहां के कॉक्स बाजार से अगरतला के बीच 10 GBPS की क्षमता वाले इस ब्रॉडबैंड का उद्घाटन किया था। यह समय दोनों देशों के लिए गर्व का पल था, जिसे कुछ लोगों ने ऐतिहासिक पल भी करार दिया। भारत के पूर्वी राज्य जो अष्ट लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में, बिजली के लिए त्रिपुरा को बांग्लादेश के कोमिला से जोड़ने के लिए 47 किलोमीटर की संचार लाइन बिछाने की भी घोषणा हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच 'भूमि सीमा समझौता' (LBA) के सफल होने के बाद समुद्री मामलों के सुलझाने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा रक्षा, आर्थिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कई समझौते किये गये है।

रक्षा संबंध: रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अद्वितीय संबंध हैं। सर्वोच्च स्तर पर बांग्लादेश के नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को भी बांग्लादेश के भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा सहयोग के लिए अपेक्षित सभी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इसकी पुष्टि की गई है। 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) का उद्देश्य सीमापारीय गैर-कानूनी गतिविधियों एवं अपराधों पर अधिक कारगर नियंत्रण के लिए तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना है। इसके अलावा भारत-बांग्लादेश के बीच नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित किये जाते हैं, उदाहरण के लिए समप्रिती (SAMPRITI) सैन्य अभ्यास।

आर्थिक संबंध: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक व्यापार 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। पिछले पाँच वर्षों में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

साफ्टा (SAFTA), साप्टा (SAPTA) और आप्टा (APTA) के तहत बांग्लादेश को ड्यूटी में पर्याप्त रियायत प्रदान की गई है। इसके अलावा अन्य बातों के साथ व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 25 मदों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों को 2011 से नकारात्मक सूची से हटा दिया गया है। पिछले 7 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट (8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि जून 2015 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक नई ऋण सहायता की घोषणा की। नई ऋण सहायता के तहत सड़क, रेलवे, विद्युत, जहाजरानी, एसईजेड (SEZ), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखरेख तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र शामिल हैं।

कनेक्टिविटी: भारत-बांग्लादेश सीमा पर 36 से अधिक लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) हैं जिनके माध्यम से सड़क मार्ग से माल की आवाजाही होती है। अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीटी) 1972 से क्रियाशील है। यह 8 विशिष्ट मार्गों पर बांग्लादेश की नदी प्रणाली के माध्यम से माल की आवाजाही की अनुमति प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच तटीय जल मार्गो के माध्यम से कनेक्टिविटी भी स्थापित की गयी है, जिसे तटीय जहाजरानी करार पर हस्ताक्षर के माध्यम से संभव बनाया गया है। ढाका-कोलकाता, ढाका-अगरतला तथा ढाका-सिलांग-गुवाहाटी के बीच बस सेवाएँ भी शुरू की गई हैं। खुलना-कोलकाता बस सेवा भी शुरू हो गई है। कोलकाता और ढाका के बीच एक नियमित यात्री ट्रेन सेवा 'मैत्री एक्सप्रेस' शुरू की गयी है जो अब सप्ताह में 4 दिन चलती है। दोनों देशों की राष्ट्रीय एयरलाइंस तथा कुछ निजी एयरलाइंस ढाका, चटगाँव, नई दिल्ली, कोलकाता एवं मुंबई के बीच अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

हालाँकि, ये तो एक छोटी सी झलक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कई सारे समझौते हो रहे हैं, जिनका प्रारूप और प्रभाव आने वाले समय में और भी बेहतर ढंग से नजर आएगा। इस बात में दो राय नहीं है कि न केवल आर्थिक, सामाजिक बल्कि कूटनीति के स्तर पर भी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध का असर व्यापक होगा।

बांग्लादेश का चीन के प्रति नया दृष्टिकोण

वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रोहिंग्या मामले में मदद, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, निवेश, बिजली, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में 9 समझौते भी हुए। इनमें ढाका बिजली वितरण कंपनी (डीपीडीसी) क्षेत्रीय परियोजना के तहत पावर सिस्टम के विस्तार और उसे मजबूत करने, डीपीडीसी क्षेत्रीय परियोजना के तहत पावर सिस्टम के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए सस्ते कर्ज का करार, साथ ही पावर ग्रिड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट शामिल हैं। इनके अलावा, तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का समझौता, इनवेस्टमेंट को-ऑपरेशन वर्किंग ग्रुप के गठन के लिए एमओयू (समझौता पत्र), यालू झांग्बो-ब्रह्मपुत्र नदियों से जुड़ी हाइड्रोलॉजिकल सूचनाओं के आदान-प्रदान और उसे लागू करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और टूरिज्म प्रोग्राम पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए गए। इनके अलावा, चीन ने बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए 2,500 टन चावल देने का भी वादा किया।

चीन और बांग्लादेश के बीच समुद्री मामलों (मैरिटाइम अफेयर्स) पर बातचीत की सहमति बनी है। दोनों देश ब्लू इकोनॉमी (बिना दबाव डाले समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल), मैरिटाइम मैनेजमेंट और समुद्री क्षेत्र पर मिलकर नजर रखने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशेंगे। इसके अलावा, दोनों देशों ने बेल्ड एण्ड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने और बांग्लादेश, चीन, इंडिया, म्यांमार (बीसीआईएम) इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर प्रतिबद्धता जताई।

बीसीआईएम चार देशों की एक संयुक्त पहल है, जिसमें चीन के कुनमिंग शहर को बांग्लादेश और म्यांमार के जरिये कोलकाता से जोड़ा जाएगा। चीन ने इस प्रोजेक्ट को बाद में बीआरआई के तहत लाने का एलान किया था। गौरतलब है कि भारत बीआरआई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। हालाँकि, चीन दुनिया के कई देशों में बीआरआई के जरिये कई आधारभूत अवसंरचना के लिए पैसा दे रहा है और वह इसके मार्फत दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है।

हालाँकि चीन और बांग्लादेश ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का वादा दोहराया है कि आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इनमें सूचनाओं के आदान-प्रदान, आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए क्षमता बढ़ाना और ट्रेनिंग जैसी पहल शामिल हैं। बांग्लादेश और चीन ने कृषि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देश जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। चीन ने अधिक उत्पादकता वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन केन्द्र खोलने का भी वादा किया। दोनों देशों के नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाने की अहमियत पर जोर देते हुए चीन ने बांग्लादेशी युवाओं के लिए कई स्कॉलरशिप जारी रखने की बात कही। चीन बांग्लादेश के प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को चीन में काम करने का मौका देगा और उनका खर्च उठाएगा।

पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश को 2040 तक विकसित देश बनाने का भी वादा किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत है, इसलिए वह बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा, चीन से अच्छे रिश्तों की वजह से बांग्लादेश की उम्मीद भी बढ़ी है। गौरतलब है कि आज बांग्लादेश को चीन से काफी हथियार मिल रहे हैं। वह बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन उसके विकास में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।

उल्लेखनीय है कि शेख हसीना की चीन यात्रा ऐसे वक्त में हुई, जब वह दो चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इनमें से पहली रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजना और दूसरी, देश के आर्थिक विकास को मजबूत बनाए रखने के लिए फंडिंग का इंतजाम करना है। आर्थिक विकास के मुद्दे पर ही इस साल के शुरूआत में उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजना शेख हसीना सरकार की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये शरणार्थी अगस्त 2017 से बांग्लादेश में रह रहे हैं। वे प्रताड़ना के डर से म्यांमार के रखाइन क्षेत्र से भागकर यहां आए हैं। अभी तक उन्हें वापस भेजे जाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पहल हुई है, उसका सार्थक नतीजा नहीं निकला है। बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि चीन के म्यांमार से अच्छे रिश्ते हैं इसलिए वह इन शरणार्थियों को वापस बुलाने के लिए उसे राजी कर सकता है।

हालाँकि चिंता का कारण यह है कि म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस बुलाने को लेकर टालमटोल करता रहा है। 2017 में चीन के दखल देने के बाद इसके लिए बांग्लादेश और म्यांमार के बीच समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक उसने एक भी शरणार्थी को वापस नहीं बुलाया है। एक और बात यह है कि चीन ने बांग्लादेश के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए खास उपायों का ऐलान नहीं किया है। दोनों देशों के बीच यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में चीन का पलड़ा बहुत भारी है।

इस बीच, शेख हसीना ने चीन की कंपनियों को देश के 100 इकोनॉमिक जोन में निवेश का न्योता दिया। बांग्लादेश के चिट्टगाँव में सिर्फ चीन की कंपनियों के लिए एक खास इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है और इसे व्यापार असंतुलन को दूर करने के एक प्रमुख कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है। चीन यात्रा के दौरान पीएम शेख हसीना ने चीन से कर्ज की रकम जल्द देने और उसकी शर्तो को आसान बनाने की अपील भी की। 2016 में चीन ने कई आधारभूत अवसंरचनाओं के लिए 28 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया था, लेकिन यह रकम अभी तक नहीं मिला है। हालाँकि, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद चीन ने सबसे अधिक वित्तीय मदद बांग्लादेश की ही की है।

इस तरह यदि देखें तो बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर आर्थिक विकास की ओर तेज गति से बढ़ना चाहता है लेकिन चीन को लेकर उसके सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं जिससे बांग्लादेश को पार पाना होगा। हालाँकि इन सभी घटनाओं का भारत-बांग्लादेश के संबंध पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत-बांग्लादेश में बहुत पहले से ही सामाजिक, आर्थिक, सैनिक व तकनीकी क्षेत्र में काफी निवेश कर रहा है। इसके अलावा दोनों एक स्वाभाविक मित्र हैं जिनका हित दोनों को साझा रूप से प्रभावित करता है। फिर भी अपनी विदेश नीति के तहत दोनों को अपनी सुरक्षा व विकास को लेकर सजग रहना होगा।

आगे की राह

बांग्लादेश, भारत की सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संपर्क और एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

सकारात्मक शुरूआत करने के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश से किए गए वादों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें तीस्ता जल संधि का समाधान महत्वपूर्ण चरण होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति के कारण जल बँटवारा संधि 2011 से लंबित है। भारत को दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पर जोर देना चाहिए तथा बांग्लादेश में चल रहे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन देना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा जिससे कि चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

लंबे समय से फँसे रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है जो संभावित रूप से क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। रोहिंग्या के पुनर्वास में बांग्लादेश के प्रयास सफल नहीं हुए हैं अगर भारत रोहिंग्या के पुनर्वास में सहयोग करता है तो दोनों देशों के बीच यह सहयोग दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति और समृद्धि में बढोतरी करेगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन रोहिंग्या के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है।

यह सही है कि वर्तमान में बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है जो बांग्लादेश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद वह भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर सजग है क्योंकि वह जानता है कि चीन से ज्यादा विश्वसनीय देश भारत है।

चीन अपने घेरे की नीति (String of Pearls) के तहत जिस तरीके से भारत को घेर रहा है उसे देखते हुए भारत और बांग्लादेश दोनों को सतर्क रहना होगा क्योंकि बांग्लादेश के माध्यम से चीन भारत के विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है। यह विधेयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।

परिचय

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार चुनती है और जनता के द्वारा कर (Tax) के रूप में दिए गए पैसों से सरकार शासन व्यवस्था एवं देश चलाती है। ऐसे में जनता को ये जानने का अधिकार होता है कि सरकार उसके लिए कैसे, कहाँ और क्या काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि सरकार के कामकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुँच, अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता सूचना का अधिकार के अनिवार्य अंग हैं, लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद एक लंबे वक्त तक सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं था। इसके कारण आम नागरिक सरकार के कामकाजों को जानने से वंचित रह जाते थे। गौरतलब है कि काफी जद्दोजहद के बाद वर्ष 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू हुआ। इसके बाद ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने और उसे समाप्त करने में काफी प्रभावी साबित हुआ। एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सूचना का अधिकार को और मजबूत बनाने तथा 2005 के कानून में मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 लायी है।

केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक कानूनी निकाय है, ऐसे में इनकी सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से सरकार मूल कानून में बदलाव कर रही है।

सूचना के अधिकार का इतिहास

भारत पर 200 से ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाली ब्रिटिश सरकार ने सूचना के संदर्भ में भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को लागू किया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय रख सकती है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद सूचना के अधिकार के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गयी और ना ही अंग्रेजों द्वारा बनाये गये शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में कोई संशोधन किया गया। इसके कारण आने वाली सभी सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 और धारा 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचना साझा करने से बचती रही। देश में सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण केस से जगी।

गौरतलब है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की थी। इस निर्णय के वजह से संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाकर उसमें सूचना के अधिकार को भी शामिल किया गया। वर्ष 1982 में दूसरे प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 को खत्म करने की सिफारिश की थी क्योंकि इसमें कहीं भी ये परिभाषित नहीं किया गया था कि 'गुप्त' क्या है और 'शासकीय गुप्त बात' क्या है। दूसरे प्रेस आयोग के बाद वर्ष 2005 में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की थी।

वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में राजस्थान के ग्रामीण इलाके में लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हुए 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' ने सूचना के अधिकार को एक नये ढंग से रेखांकित किया। उदाहरणस्वरूप भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम इत्यादि। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक अभियान चलाकर माँग की कि सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सरकारी खर्चे का सोशल ऑडिट होना चाहिए और जिन लोगों को उनका उचित अधिकार नहीं मिला है उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। इस अभियान को सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरशाही और वकील आदि सभी तबके का समर्थन मिला। वर्ष 1989 में तत्कालीन सरकार ने घोषणा की कि संवैधानिक संशोधन के आधार पर सूचना का अधिकार कानून बनाने और शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद इस कानून को लागू नहीं किया जा सका।

इसके पश्चात वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच. डी. शौरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने सूचना की स्वतंत्रता का एक प्रारूप प्रस्तुत किया लेकिन इस समिति के प्रारूप पर आगे कोई काम नहीं हो सका। वर्ष 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प लिया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारें पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को अमलीजामा पहनाने के लिए काम करेंगी। हालाँकि इस दिशा में सबसे पहला राज्य तमिलनाडु बना, जिसने 1997 में सूचना का अधिकार कानून पास किया। वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। इस विधेयक को जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

इसके बाद वर्ष 2005 में सरकार ने पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संसद से पारित कर दिया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अक्टूबर, 2005 से यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। इसके साथ ही सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी कि किस तरह एक आम नागरिक सरकार से सूचना माँगेगा और किस तरह सरकार उसका जवाब देगी। हालाँकि इस कानून के लागू होने से पहले सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र को लोगों के लिए मजबूत बनाना इत्यादि।

मुख्य तथ्य

- यह अधिनियम केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू होता है।
- यह उन गैर-सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आर्थिक सहायता मिलती है।
- इस अधिनियम के तहत किसी भी लोक प्राधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा

करके सूचना प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

- इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की है जिसके माध्यम से नागरिकों तक सूचना का पहुँचना सुलभ हुआ है।

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन

- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करती है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त (सी. आई.सी.) और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त, जितने जरूरी समझे जाएं, से मिलकर बनता है।
- पद की शपथ, प्रथम अनुसूची में विहित प्रपत्र के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है।
- इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अन्य कार्यालय देश के अन्य भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति

भारत के राष्ट्रपति; मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्त करता है। इस समिति में प्रधानमन्त्री के अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

- आरटीआई, 2005 की धारा 12(5) प्रावधान करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
- आरटीआई, 2005 की धारा 12(6) प्रावधान करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृति नहीं करेगा।

- इस अधिनियम के तहत नागरिक को किसी भी निर्माण के निरीक्षण का भी अधिकार है।
- इस अधिनियम के तहत आवेदन पत्र डाक से भी भेजा जा सकता है।
- सूचना का आवेदन पत्र ई-मेल से भी प्रेषित किया जा सकता है।
- सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के अन्दर माँगी गई सूचना उपलब्ध करायेगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। निगम, संघ, कम्पनी आदि वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते। अधिनियम ने ऐसे 'व्यक्ति' को सूचना प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है तो उसे सूचना दी जाएगी बशर्ते वह अपना पूरा नाम इंगित करे। ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना माँगी गई है।

आरटीआई की विशेषताएँ

सूचना का अधिकार के तहत कुछ खास और स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(i) में स्पष्ट किया गया है- इसमें कार्य, दस्तावेज, संरक्षित दस्तावेज जैसे- दस्तावेज की मूल कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा या जानकारी आदि। वहीं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(iii) के अनुसार, कोई भी लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गयी सूचना उनके विभाग से संबंधित नहीं है, तो ये उसका कर्त्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजें और आवेदक को भी इस बारे में सूचित करें। यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या गलत या भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराता है तो देरी के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000 रुपए तक का जुर्माना उनके वेतन से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। इसी अधिकार ने आरटीआई को सबसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाया है। वहीं आवेदनकर्ता के हितों का सबसे जयादा ध्यान आरटीआई में रखा गया है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपया है और सूचना देने का खर्च प्रति पृष्ठ 2 रुपया है जो कई तरीके से दी जा सकती है। अगर आवेदनकर्ता बीपीएल कार्डधारी है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी।

सूचना का अधिकार का उपयोग करने का तरीका भी बेहद सरल बनाया गया है। सभी सरकारी विभागों में एक या उससे अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है साथ ही www.rti.gov.in के माध्यम से भी आम नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आरटीआई ने भारत के नागरिकों को सशक्त और सरकार को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की है।

लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 में वर्णित विषयों से संबंधित कुछ सूचनाएँ देने से मना भी कर सकता है। इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएँ, सुरक्षा मामलों से संबंधित सूचनाएँ, रणनीतिक, वैज्ञानिक या देश के आर्थिक हितों से जुड़े मामले, विधानमण्डल के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले से जुड़ी सूचनाएँ शमिल हैं। इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में ऐसी 18 एजेंसियों की सूची दी गई है जहां सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है, फिर भी, यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी हुई है तो इन विभागों को भी सूचना देनी पड़ेगी।

नए विधेयक में प्रमुख प्रावधान

आरटीआई (संशोधन) विधेयक, 2019 में मूल कानून आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 16 में अहम बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। मूल कानून 2005 की धारा 13 केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अन्य सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति, वेतन-भत्ते एवं सेवा शर्तों से जुड़ी है। इस धारा में कहा गया है कि सीआईसी (CIC) और अन्य आईसी (IC) की नियुक्ति पाँच साल के लिए या उनकी उम्र 65 साल होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) की जाएगी लेकिन नए प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक इन आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी।

धारा-13 के तहत ही इन आयुक्तों का वेतन-भत्ता एवं सेवा शर्तें परिभाषित हैं। उसके मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन-भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होंगी जबकि अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन-भत्ता एवं सेवा शर्तें अन्य चुनाव आयुक्तों के बराबर होंगी लेकिन नए कानून में प्रस्तावित किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन-भत्ता एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी।

धारा-16 जो राज्यों से संबंधित है, के मुताबिक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पाँच साल या उनकी उम्र 65 साल तक (जो भी पहले हो) होगी लेकिन नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक सभी राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

संशोधन विधेयक के पक्ष में तर्क

- सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में कई विसंगतियाँ हैं जिनमें सुधार की

जरूरत है। मुख्य सूचना आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता है, लेकिन उनके फैसले पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) एक वैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग और केंद्रीय तथा राज्य के सूचना आयुक्तों के अधिदेश अलग हैं और इसलिए इनका निर्धारण तदनुसार करने की आवश्यकता है।
- इस संशोधन से आरटीआई दाखिल करने में सहायता मिलेगी और इससे आरटीआई विधेयक सशक्त होगा।
- सरकार का कहना है कि चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इस तरह मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो जाते हैं। लेकिन सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों का काम बिल्कुल अलग-अलग है।
- सरकार का तर्क है, 'चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 की धारा (1) के तहत एक संवैधानिक संस्था है वहीं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक संस्था है।
- चूंकि दोनों अलग-अलग तरह की संस्थाएँ हैं इसलिए इनका कद और सुविधाएँ उसी आधार पर तय की जानी चाहिए।
- साथ ही इस संशोधन का लक्ष्य आरटीआई अधिनियम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, व्यवस्थित बनाना तथा परिणामोन्मुखी बनाना है। इससे आरटीआई का ढाँचा सम्पूर्ण रूप से मजबूत होगा।

संशोधन विधेयक के विपक्ष में तर्क

- विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस विधेयक के पास हो जाने से सूचना आयुक्तों की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी क्योंकि सूचना आयुक्तों के कार्यकाल वेतन एवं भत्ते केन्द्र सरकार के द्वारा तय किये जाएँगे, इसलिए सूचना आयुक्त सरकार के विपक्ष में कोई भी ऐसी सूचना साझा करने से परहेज करेंगे जिससे जनता के बीच सरकार विरोधी भावना प्रबल हो।
- उदाहरण के लिए गैर-निष्पादित संपत्ति संबंधी आँकड़े (NPA), विमुद्रीकरण संबंधी आँकड़े, आरबीआई संबंधी आँकड़े तथा रोजगार संबंधी आँकड़े इत्यादि। साथ ही उनका कहना है कि इस विधेयक के पास हो जाने से केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग पर सीधा-सीधा प्रहार होगा।
- साथ ही यदि यह विधेयक कानून का रूप ले लेती है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो खामियाँ हैं, जैसे- भ्रष्टाचार, घुसखोरी इत्यादि जिन्हें ये उजागर करते थे, अब इसमें कमी आएगी।
- यह विधेयक केन्द्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता को खतरा पैदा करता है। साथ ही इस कमीशन पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम की सांविधिक शर्तो को हटाकर सूचना आयोग की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता समाप्त कर दी जाएगी।
- आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 13 और 16 के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्तों (CIC) को चुनाव आयोग का दर्जा और राज्य सूचना आयुक्तों को प्रमुख सचिव का दर्जा दिया गया है, ताकि वे स्वतंत्र और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें। जाहिर है कि आरटीआई एक्ट में संशोधन के बाद सूचना आयोग की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। साथ ही इस संशोधन विधेयक से पारदर्शिता बाधित होगी और सूचना आयोग की आजादी बाधित होगी।
- उनका कहना है कि केंद्र सरकार पर्सन-टू-पर्सन मामले को देखते हुए उनके वेतन भत्ते, कार्यकाल और सेवा शर्तें तय करेंगी। इससे सूचना का अधिकार कानून की मूल भावना से खिलवाड़ होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो नए संशोधन बिल को आरटीआई उन्मूलन बिल करार दिया है।

आगे की राह

सूचना का अधिकार कानून आज विश्व के लगभग 80 से अधिक देशों में लागू है। इन देशों में स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, मैक्सिको एवं भारत प्रमुख हैं। निष्कर्षत: आज भारत में राजस्थान से लेकर मणिपुर तक या उत्तर में हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग किया जा रहा है और यह कानून कदम-दर-कदम आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस कानून के दायरे व मुख्य प्रावधानों के संबंध में मत मतान्तरों एवं अस्पष्ट क्षेत्रों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

7. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में आतंकवाद के मामलों की जाँच करने वाली राष्ट्रीय अन्वेषण (Investigation) एजेंसी यानी एनआईए को और अधिक ताकतवर बनाने के उद्देश्य से लाया गया एनआईए संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया है। संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से अनुमोदित होने के बाद जल्द ही कानून का रूप ले लेगा।

आवश्यकता क्यों

आज आतंकवाद वैश्विक समस्या बन चुकी है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत आम जनता आतंकवाद के शिकार हुए है। ऐसे में एनआईए को सशक्त बनाना आवश्यक है। यह कानून इस एजेंसी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की और ताकत देगा। गौरतलब है कि श्रीलंका व बांग्लादेश में हाल ही में बम धमाकों में भारतीय भी मारे गए थे। लेकिन देश से बाहर अन्वेषण करने का अधिकार इस एजेंसी को नहीं था। ऐसे में यह संशोधन एजेंसी को विदेश में भी अन्वेषण का अधिकार प्रदान करेगा।

संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान

- अभी तक एनआईए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन

एक्ट, 1967 के तहत ही कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अब एनआईए मानव तस्करी, फर्जी मुद्रा बनाने, प्रतिबंधित हथियारों को बनाने और बेचने, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक सामग्री अधिनियम 1908 के मामलों में भी कार्रवाई कर सकेगी।

- इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण (Trial) के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत (Session Court) या विशेष अदालत स्थापित करें।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसार अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 में नया खंड ऐसे व्यक्तियों पर अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए है जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं।
- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 का संशोधन करके एनआईए के अधिकारियों को वैसी शक्तियाँ, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्रदान करने की बात कही गई है जो अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल भारत में बल्कि देश के बाहर भी प्रयोग की जाती रही है। इसमें भारत से बाहर किसी गंभीर अपराध के संबंध में एजेंसी को मामले का पंजीकरण और अन्वेषण का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है।
- एनआईए अदालत के जजों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करते रहेंगे, जिस तरह अभी प्रक्रिया चल रही है।
- यह विधेयक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) को भी असीमित अधिकार देता है। अब तक के नियम के मुताबिक एक अन्वेषण अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले में संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब यह विधेयक इस बात की अनुमति देता है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की अन्वेषण एनआईए का कोई अफसर करता है तो उसे इसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी।
- नए प्रस्तावित संशोधनों के बाद अब एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को कब्जे में लेने और उनकी कुर्की करने का अधिकार मिल जाएगा जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। अब इसके लिए एनआईए को राज्य के पुलिस महानिदेशक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
- अन्वेषण के संबंध में भी एनआईए (NIA) के पास अब ताकत और बढ़ गई है। अब तक के नियम के अनुसार, ऐसे किसी भी मामले की अन्वेषण डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) रैंक के अधिकारी ही कर सकते थे। लेकिन अब इस विधेयक के मुताबिक एनआईए के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसे किसी भी मामले की अन्वेषण इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अफसर कर सकते हैं।
- इसके अलावा यह विधेयक सरकार को यह अधिकार भी देता है कि इसके आधार पर किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु एक संघीय अन्वेषण एजेंसी है। यह एजेंसी केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने हेतु सशक्त है। यह एजेंसी 31 दिसम्बर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।

एनआईए के कार्य

- तीव्र, त्वरित एवं प्रभावी विचारण सुनिश्चित करना।
- अद्यनूतन वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति का प्रयोग करते हुए अनुसूचित अपराधों की गहन पेशेवर अन्वेषण करना और इस प्रकार के मानक स्थापित करना जिससे सुनिश्चित हो कि एनआईए को सौंपे गए सभी मामले अन्वेषण लिए गए हैं।
- वैयक्तिक गरिमा एवं मानवाधिकारों के संरक्षण को महत्त्व देते हुए भारत के संविधान एवं विधि के साथ पूरी तरह से पेशेवर एवं परिणामोन्मुख संगठन बनाना।
- निरंतर एवं नियमित प्रशिक्षण द्वारा एक पेशेवर कार्यबल विकसित करना।
- दिए गए कर्तव्य के निर्वहन के समय वैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं विकासपरक उत्साह प्रस्तुत करना।

आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए बने कानून

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (TADA) 1985 The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act

यह सबसे कठोर कानून था। देश में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 1985 में प्रवर्तित किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त किसी अभियुक्त को 180 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था तथा एक बार दण्डाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर पुन: अगले 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। 23 मई, 1995 को यह समाप्त हो गया।

आतंकवाद निवारण अधिनियम [Prevention of Terrorism Act (POTA)] 2002

आतंकवाद पर कठोर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 2002 को POTA को लागू किया गया। इसे TADA के स्थान पर लाया गया, इसके अधीन किसी भी मामले में FIR की पुष्टि पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा समिति द्वारा क्रमश: 10 दिन एवं एक महीने के भीतर किया जाना आवश्यक था। इसके साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों की सूचना तत्काल परिवार को देने और पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित थी। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिये इस अधिनियम को 2004 में समाप्त कर दिया गया।

गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 2004 [Unlawful Activities Prevention Act, 2004 (UAPA)]

इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है। यूएपीए (UAPA) के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है अगर निम्न चार में से किसी एक में उसे शामिल पाया जाता है-

- आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेला व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है।
- आतंकवादियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा।
- आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी अन्वेषण कर सकेगा।
- आतंकवादी गतिविधि पर संपत्ति जब्त करने से पहले एनआईए को अपने महानिदेशक से मंजूरी लेनी होगी।

- एनआईए अधिनियम के कानूनी उपबंधों से प्रासंगिक रहते हुए राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पेशेवर संबंध एवं तालमेल बनाए रखना।
- आतंकी मामलों की अन्वेषण में सभी राज्यों एवं अन्य अन्वेषण एजेंसियों की मदद करना।

- सभी आतंकवादी संबद्ध सूचनाओं का एक डाटाबेस तैयार करना और उपलब्ध डाटाबेस को राज्यों एवं अन्य एजेंसियों से साझा करना।
- अन्य देशों में आतंकवाद संबंधी कानूनों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना और भारत में मौजूदा कानून की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।
- नि:स्वार्थ एवं निर्भय होकर कार्य करके भारत के नागरिकों का विश्वास हासिल करना।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की सफलता दर

एनआईए की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक एनआईए ने 244 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 37 केसों में चार्जशीट दायर करने के बाद विचारण हुआ। इन 37 में से 35 मामलों में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। एनआईए की सफलता दर लगभग 94 प्रतिशत है। एनआईए बिल के अनुसार इस अन्वेषण एजेंसी को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के अलावा देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश, बम धमाका करने की साजिश, हवाई जहाज या पानी के जहाज का अपहरण करने की कोशिश, परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश पर भी कार्रवाई करने का अधिकार है। एनआईए को अपनी कार्रवाई करने के लिए किसी राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सरकारें भी किसी मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश कर इसकी अन्वेषण एनआईए से करवा सकती है।

एनआईए के संबंध स्थायी समिति की रिपोर्ट

हालाँकि आतंकी मामलों की अन्वेषण करने वाली भारत की अग्रणी एजेंसी (एनआईए) की कार्यशैली एवं निष्पादन संतुष्टि प्रदायक एवं आशानुरूप नहीं रहा है। कुछ वर्षों पहले आंतरिक मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने एक सम्मेलन में ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। समिति के एक सदस्य के अनुसार, एजेंसी संभार तंत्र एवं ढाँचागत लिहाज से कमजोर है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार इसे गंभीर रूप से नहीं ले रही है। एजेंसी में स्वीकृत 650 से अधिक पद हैं, जबकि मात्र 450 के आस पास कर्मी ही एजेंसी में हैं। इस प्रकार संस्था में मानव शक्ति की कमी है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य संरचनात्मक कमियाँ भी हैं। एजेंसी के लिए पूरे भारत से आतंकी मामलों की अन्वेषण में अनुभवी एवं दक्ष अधिकारियों को नियुक्त किया गया, लेकिन सरकार उन्हें उचित व्यवस्था एवं प्रबंध नहीं दे पा रही है।

स्थायी समिति ने न केवल अधिक केंद्रों की आवश्यकता महसूस की अपितु सभी शाखा कार्यालयों में अधिक संसाधन मुहैया कराए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। स्थायी समिति ने देश के अन्य हिस्सों में भी एनआईए के अधिक केंद्रों की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया। वर्तमान में, एनआईए का दिल्ली में मुख्यालय के अतिरिक्त मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, केरल, लखनऊ, गुवाहाटी एवं कोच्चि में शाखा कार्यालय हैं।

इस संशोधन बिल का विरोध क्यों

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एनआईए, यूएपीए, आधार जैसे कानूनों में संशोधन करके सरकार भारत को 'पुलिस स्टेट' में बदलना चाहती है। इस कानून का टाडा या पोटा कानून की तरह दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही एनआईए अधिनियम की संवैधानिक वैधता के विषय का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है क्योंकि इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ अभी अदालतों में लंबित हैं।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1985 से 1994 के बीच भारत में 76,166 लोगों पर टाडा कानून के तहत कार्रवाई की गई लेकिन इनमें से महज 4 प्रतिशत लोगों पर ही इस कानून के तहत दोष साबित हो सका। पोटा कानून के तहत भी दोषी ठहराए जाने की दर 5 प्रतिशत से कम थी। गुजरात में अक्षरधाम आतंकी हमले के आरोप में पोटा के तहत गिरफ्तार छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था। इनमें से दो आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसे उदाहरणों के चलते विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि एनआईए का भी ऐसा राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 29 जुलाई 2010 से अन्वेषण शुरू की। 19 नवंबर 2010 को इस मामले के आरोपी असीमानंद को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। 30 दिसंबर को एनआईए ने कहा कि असीमानंद के खिलाफ पक्के सबूत मिले हैं। जून 2011 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। अगस्त 2014 में अदालत से असीमानंद को जमानत मिल गई क्योंकि उनके खिलाफ एनआईए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई। 2019 में आए इस मामले के फैसले में असीमानंद को बरी कर दिया गया। एनआईए इस अन्वेषण में गलत साबित हुई। एनआईए ने अपनी अन्वेषण के खिलाफ आए फैसले के विरोध में ऊपरी अदालत में याचिका दायर नहीं की। ऐसे ही विवादों के चलते इस बिल का विरोध हुआ। जानकारों का मानना है कि इस विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। किसी को भी केवल सरकार की भावना या संदेह के आधार पर आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। इस बिल में न्यायिक समीक्षा का भी अभाव है।

इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया जाता है कि अगर एनआईए की सफलता पहले से ही इतनी जबरदस्त है तो इसे और ज्यादा अधिकार देने की क्या जरूरत है? संविधान के विशेषज्ञों के अनुसार, आतंक से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक अन्वेषण एजेंसी तो होनी चाहिए लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहिए।

एनआईए को और भी ताकतवर बनाने से दो तरह के दुरुपयोग की संभावना है। पहली, एजेंसी मासूम व्यक्तियों को परेशान कर सकती है और दूसरी, सत्तारूढ़ पार्टी इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों पर कर सकती है।

जानकारों के अनुसार भारत में राज्य स्तर पर कई अन्वेषण एजेंसियाँ हैं जिनका काम आपराधिक और आतंकी मामलों की अन्वेषण करना है। राज्य पुलिस के पास आतंकवाद विरोधी दस्ते हैं, केंद्र के पास सीबीआई है और इन सबने अच्छा काम किया है। यद्यपि समय-समय पर इन एजेंसियों पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं तो भी इनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना अपेक्षाकृत ज्यादा सही था बजाय एनआईए को ये सब शक्तियाँ देने के। कुछ मामलों को लेकर एनआईए की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर भी संदेह व्यक्त किया जाता रहा है, जैसे- मालेगांव, अजमेर दरगाह धमाके जैसी चरमपंथी घटनाओं में जुड़े अभियुक्तों की 'अपर्याप्त सुबूतों' के कारण जमानत, रिहाई, गवाहों के मुकरने के कारण ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हालाँकि एनआईए पर ऐसे आरोप कम ही देखने को मिले हैं।

इसके अलावा फरवरी में हुए पुलवामा आतंकी हमले की अन्वेषण एनएआईए अभी तक कर रही है, जो इसकी कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न खड़ा करती है।

आगे की राह

देश ने टाडा और पोटा जैसे आतंकवाद विरोधी कानून लागू किए, लेकिन इसके बावजूद आतंकी

हमले नहीं रूके। उलटे पुलिस और सरकार ने कई बार इनका गलत इस्तेमाल किया जिसके कारण इन दोनों कानूनों को खत्म कर दिया गया। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिये राज्य तथा केंद्र के बीच सामंजस्य होना चाहिए अगर आज आतंकवाद का एक बड़ा संजाल दुनिया के भीतर खड़ा हुआ है तो यह साधारण नहीं है। ऐसे में भारत जैसे आतंकवाद के शिकार देश में, सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बड़ी कठिन हो जाती है।

हमारा उदार लोकतंत्र और वोट के आधार पर बनने वाली सरकारें भी जिस प्रमाणिकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए, खड़ी नहीं हो पाती। जाहिर तौर पर यह लापरवाही, आतंकी ताकतों के लिए एक अवसर में बदल जाती है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और एनआईए की भूमिका काफी बढ़ जाती है। एनआईए ने देश को सुरक्षित स्थान बनाने और वैश्विक आतंकवाद के हमलों से भारत की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर अंकुश लगाने के कार्य में लगा हुआ है। हालांकि सरकार को इस बारे में सभी लोगों को संतुष्ट करना होगा ताकि एनआईए का गलत इस्तेमाल न होने पाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत का चंद्रयान–2 : चन्द्रमा की पड़ताल का महत्वाकांक्षी मिशन

प्र. चन्द्रयान-2 क्या है? इसरो द्वारा प्रक्षेपित चन्द्रयान-2 की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक 22 जुलाई 2019 को देश के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी एमके-III (GSLV MK-III) से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 की अब चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई है।

मिशन चंद्रयान-2

- चंद्रयान-2 भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है, यह भारत का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है। यह 2008 में लॉन्च किये गए मिशन चंद्रयान का उन्नत संस्करण है। गौरतलब है कि चंद्रयान मिशन ने केवल चन्द्रमा की परिक्रमा की थी, परन्तु चंद्रयान-2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भी उतारा जायेगा।

चंद्रयान-2 के वैज्ञानिक उद्देश्य

- चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियाँ दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

चंद्रयान-2 की विशेषता

- **जीएसएलवी मार्क-III:** जीएसएलवी मार्क-III को इसरो के दूसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल माना जाता है। इसका निर्माण अंतरिक्ष में भारी पेलोड्स को पहुँचाने के लिए किया गया है।
- **ऑर्बिटर:** 2397 किलोग्राम वजन वाला ऑर्बिटर एक साल तक चाँद की परिक्रमा करेगा। इसमें आठ पेलोड लगे हैं, जो अलग-अलग प्रयोगों को अंजाम देंगे।
- **लैंडर विक्रम:** 1471 किलोग्राम वजनी लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस पर तीन पेलोड लगे हैं। यह दो मीटर प्रति सेकेण्ड की गति से चाँद की सतह पर उतरेगा।
- **रोवर प्रज्ञान:** रोवर प्रज्ञान का नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। 27 किलोग्राम वजन वाले इस रोवर पर दो पेलोड लगे हैं। यह छह पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन है।

चुनौतियाँ

- चंद्रयान-2 को चाँद की कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं होगा। लगातार बदलते ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से चंद्रयान-2 को चाँद की कक्षा में पहुंचाने के लिए अत्यधिक सटीकता की जरूरत होगी। इसमें काफी ईंधन खर्च होगा। सही कक्षा में पहुँचने पर ही तय जगह पर लैंडिंग हो पाएगी।

आगे की राह

- चन्द्रयान-2 की सफलता ने भारत को उन देशों की श्रेणियों में शामिल कर दिया है जो तकनीकी रूप से काफी विकसित हैं। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की साख को और अधिक बढ़ा दिया है। ■

2. संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी समितियों की अहमियत

प्र. संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी समितियों की आवश्यकता एवं उसके महत्त्व पर प्रकाश डालें, साथ ही इन समितियों की कमियों को भी उजागर कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद के जारी सत्र में पेश किये गये 22 विधेयकों में से 12 विधेयक पारित कर दिये गये हैं, जो कई वर्षों बाद देखा गया है।

परिचय

- भारत के संसदीय प्रणाली में विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ अथवा डीआरएससी (Departmentally Related Standing Committees) बेहद खास हैं। ये समितियाँ विधेयकों की पड़ताल करने के साथ साथ अहम विषयों का चयन करती हैं। संसद में दलीय आधार पर गठित ये समितियाँ व्यापक परिप्रेक्ष्य के तहत रिपोर्ट सौंपती हैं। इनकी विशेषता यह है कि चर्चा या रिपोर्टों में कोई दलीय निष्ठा नहीं दिखती है।

संरचना एवं महत्त्व

- वैसे तो संसद के दोनों सदनों के अपने दायरे में कई समितियाँ आती हैं लेकिन विभाग संबंधी 24 स्थायी समितियों की अलग अहमियत है। इनके दायरे में भारत सरकार के सभी विभाग और मंत्रालय आते हैं। विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ दो दर्जन हैं। हर समिति में शामिल 31 सदस्यों में से 21 लोकसभा और 10 राज्य सभा से आते हैं।

समितियाँ कितनी प्रभावी होती हैं

- 1993 से पहले विधेयकों की जाँच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए प्रवर समितियों का गठन समय-समय पर कर लिया जाता था। इन समितियों की बैठकों में अन्य मामलों और बजटीय मामलों की भी जाँच नहीं की जाती थी। हरेक विभागीय स्थायी समिति (DRSC) कुछेक मंत्रालयों पर ही केंद्रित रहती है और यही कारण है कि सदस्यों को संबंधित क्षेत्र का ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

विभागीय समितियों की कमियाँ

- इन समितियों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास स्थायी अनुसंधान के लिए कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं है। संसद का सामान्य सपोर्ट स्टाफ ही इन समितियों को भी सपोर्ट करता है। इनके पास शोधकर्ताओं के रूप में पूरी तरह से समर्पित स्टाफ नहीं होता। हालाँकि ये समितियाँ बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएँ ले सकती हैं और वे अकसर ऐसा करती भी हैं, लेकिन इनका अपना कोई आंतरिक विशेषज्ञ नहीं होता, जो इनकी समस्याओं को सूक्ष्म रूप में समझ सके।

निष्कर्ष

- भारत के संसदीय अनुभव में विभागीय स्थायी समिति (DRSC) प्रणाली का प्रयोग बहुत कामयाब रहा है। संबंधित मुद्दों की ब्यौरेवार जाँच की क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है ताकि कानून बनाने और जवाबदेही के लिए संसदीय कार्यों को बेहतर बनाया जा सके। ■

3. दल-बदल विरोधी कानून एवं स्पीकर की भूमिका : एक विश्लेषण

प्र. हाल ही में दल-बदल विरोधी कानून की पुनर्समीक्षा की मांग उठने लगी है। क्या यह कानून अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुआ है? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरी है उससे दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) की पुनर्समीक्षा की मांग होने लगी है।

दल-बदल विरोधी कानून

- 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया 'दल-बदल कानून' कहा जाता है।

दल-बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम है और वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद ही राजनीतिक दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। इस स्थिति ने राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता ला दी।

पक्ष में तर्क

- पार्टी के प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने से सरकार को स्थिरता प्रदान करता है।
- पार्टी के समर्थन के साथ और पार्टी के घोषणापत्रों के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है।
- इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देता है।

विपक्ष में तर्क

- दल-बदल विरोधी कानून को गैर लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि यह जन-प्रतिनिधियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है।
- यह जनप्रतिनिधियों के दलगत से ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र विचार को रखने व कार्य करने से रोकता है।

आगे की राह

- अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए क्योंकि विरोधी दोष कानून के अनुसार स्पीकर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है।
- अधिक कठोर और प्रभावी कानून समय की आवश्यकता है। ■

4. पॉक्सो (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक परिचय

प्र. पॉक्सो अधिनियम क्या है? पॉक्सो (संशोधन) अधिनियम, 2019 किस प्रकार पुराने अधिनियम से भिन्न है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राज्यसभा ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 {POCSO (Amendment) Bill, 2019} को मंजूरी प्रदान की है। यह विधेयक 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' में संशोधन करता है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत बच्चे को 18 साल की कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और हर स्तर पर बच्चों के हितों और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। यह कानून लैंगिक समानता पर आधारित है।

संशोधित विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **पेनेट्रेटिव यौन हमला:** इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने (i) किसी बच्चे के वेजाइना, मुँह, यूरेथ्रा या एनस में अपने पेनिस को डाला

(पेनेट्रेट किया) है, या (ii) वह बच्चे से ऐसा करवाता है, या (iii) बच्चे के शरीर में कोई वस्तु डालता है, या (iv) अपना मुँह बच्चे के शरीर के अंगों को लगाता है, तो उसे 'पेनेट्रेटिव यौन हमला' कहा जाता है।

- **गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला:** इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर यदि पेनेट्रेटिव यौन हमला करते हैं तो उसे 'गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला' माना जाएगा।
- **गंभीर यौन हमला:** यदि कोई व्यक्ति पेनेट्रेशन के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है तो 'गंभीर यौन हमले' में शामिल माना जाएगा।

बाल यौन शोषण हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

- उच्चतम न्यायालय ने सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमों के लिए केंद्र से वित्तपोषित विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया है। ये अदालतें उन जिलों में गठित की जाएंगी जहाँ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत 100 या इससे अधिक मुकदमे लंबित हैं।

आगे की राह

- इस संशोधन से इस अधिनियम में कठोर दंड देने के प्रावधानों को शामिल करने के कारण बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ■

5. भारत-बांग्लादेश संबंध : एक मजबूत गठबंधन

प्र. वर्तमान में बांग्लादेश का चीन के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। बांग्लादेश की यह नीति विदेश नीति का सिर्फ एक हिस्सा है या फिर इसका प्रभाव भारत-बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ेगा? चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन की यात्रा संपन्न की। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद शेख हसीना की यह पहली चीन यात्रा थी।

वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में भारत-बांग्लादेश के बीच रिश्ता एक नए मुकाम तक पहुँचता नजर आ रहा है क्योंकि पिछले वर्ष भारत, बांग्लादेश और रूस के बीच हुए 'परमाणु समझौते' को दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में यह समझौता काफी फायदेमंद है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस समझौते का फायदा यह होगा कि पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित करने में बांग्लादेश को काफी सहूलियत मिलेगी साथ ही भारत के सहयोग से 100 मेगावाट के पावर ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता 500 मेगावाट तक हो जाएगी।

बांग्लादेश का चीन के प्रति नया दृष्टिकोण

- वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रोहिंग्या मामले में मदद, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, निवेश, बिजली, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में 9 समझौते भी हुए। इनमें ढाका बिजली वितरण कंपनी (डीपीडीसी) क्षेत्रीय परियोजना के तहत पावर सिस्टम के विस्तार और उसे मजबूत करने, डीपीडीसी क्षेत्रीय परियोजना के तहत पावर सिस्टम के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए सस्ते कर्ज का करार, साथ ही पावर ग्रिड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट शामिल हैं।

आगे की राह

- बांग्लादेश, भारत की सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संपर्क और एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ■

6. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019: एक अवलोकन

प्र. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 का समालोचनात्मक वर्णन करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है। यह विधेयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र को लोगों के लिए मजबूत बनाना इत्यादि।

आरटीआई की विशेषताएँ

- सूचना का अधिकार के तहत कुछ खास और स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(i) में स्पष्ट किया गया है- इसमें कार्य, दस्तावेज, संरक्षित दस्तावेज जैसे- दस्तावेज की मूल कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा या जानकारी आदि। वहीं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(iii) के अनुसार, कोई भी लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता।

नए विधेयक में प्रमुख प्रावधान

आरटीआई (संशोधन) विधेयक, 2019 में मूल कानून आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 16 में अहम बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। मूल कानून 2005 की धारा 13 केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अन्य सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति, वेतन-भत्ते एवं सेवा शर्तों से जुड़ी है। इस धारा में कहा गया है कि सीआईसी (CIC) और अन्य आईसी (IC) की

नियुक्ति पाँच साल के लिए या उनकी उम्र 65 साल होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) की जाएगी लेकिन नए प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक इन आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी।

संशोधन विधेयक के पक्ष में तर्क

- सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में कई विसंगतियाँ हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। मुख्य सूचना आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता है, लेकिन उनके फैसले पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

संशोधन विधेयक के विपक्ष में तर्क

- विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस विधेयक के पास हो जाने से सूचना आयुक्तों की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी क्योंकि सूचना आयुक्तों के कार्यकाल वेतन एवं भत्ते केन्द्र सरकार के द्वारा तय किये जाएँगे, इसलिए सूचना आयुक्त सरकार के विपक्ष में कोई भी ऐसी सूचना साझा करने से परहेज करेंगे जिससे जनता के बीच सरकार विरोधी भावना प्रबल हो।

आगे की राह

- सूचना का अधिकार कानून आज विश्व के लगभग 80 से अधिक देशों में लागू है। इन देशों में स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, मैक्सिको एवं भारत प्रमुख हैं। ■

7. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

प्र. एनआईए का सामान्य परिचय देते हुए बताएँ कि आतंकवाद को रोकने की दिशा में इसकी क्या भूमिका है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में आतंकवाद के मामलों की जाँच करने वाली राष्ट्रीय अन्वेषण (Investigation) एजेंसी यानी एनआईए को और अधिक ताकतवर बनाने के उद्देश्य से लाया गया एनआईए संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया है।

आवश्यकता क्यों

- आज आतंकवाद वैश्विक समस्या बन चुकी है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत आम जनता आतंकवाद के शिकार हुए है। ऐसे में एनआईए को सशक्त बनाना आवश्यक है।

संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान

- अभी तक एनआईए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 1967 के तहत ही कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अब एनआईए मानव तस्करी, फर्जी मुद्रा बनाने, प्रतिबंधित हथियारों को बनाने और बेचने, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक सामग्री अधिनियम 1908 के मामलों में भी कार्रवाई कर सकेगी।
- इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण (Trial) के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत (Session Court) या विशेष अदालत स्थापित करें।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी

- राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु एक संघीय अन्वेषण एजेंसी है। यह एजेंसी केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

एनआईए के कार्य

- तीव्र, त्वरित एवं प्रभावी विचारण सुनिश्चित करना।
- अद्यनूतन वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति का प्रयोग करते हुए अनुसूचित अपराधों की गहन पेशेवर अन्वेषण करना और इस प्रकार के मानक स्थापित करना जिससे सुनिश्चित हो कि एनआईए को सौंपे गए सभी मामले अन्वेषण लिए गए हैं।
- निरंतर एवं नियमित प्रशिक्षण द्वारा एक पेशेवर कार्यबल विकसित करना।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की सफलता दर

- एनआईए की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक एनआईए ने 244 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 37 केसों में चार्जशीट दायर करने के बाद विचारण हुआ। इन 37 में से 35 मामलों में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। एनआईए की सफलता दर लगभग 94 प्रतिशत है।

इस संशोधन बिल का विरोध क्यों

- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एनआईए, यूएपीए, आधार जैसे कानूनों में संशोधन करके सरकार भारत को 'पुलिस स्टेट' में बदलना चाहती है। इस कानून का टाडा या पोटा कानून की तरह दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही एनआईए अधिनियम की संवैधानिक वैधता के विषय का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है क्योंकि इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ अभी अदालतों में लंबित हैं।

आगे की राह

- देश ने टाडा और पोटा जैसे आतंकवाद विरोधी कानून लागू किए, लेकिन इसके बावजूद आतंकी हमले नहीं रूके। उलटे पुलिस और सरकार ने कई बार इनका गलत इस्तेमाल किया जिसके कारण इन दोनों कानूनों को खत्म कर दिया गया। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिये राज्य तथा केंद्र के बीच सामंजस्य होना चाहिए अगर आज आतंकवाद का एक बड़ा संजाल दुनिया के भीतर खड़ा हुआ है तो यह साधारण नहीं है। ऐसे में भारत जैसे आतंकवाद के शिकार देश में, सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बड़ी कठिन हो जाती है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

आभासी मुद्रा पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही भारत में सरकार की एक अंतर मंत्रालयी समिति ने प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी जारी करने की सिफारिश की है।

1.2 सरकार ने 2 नवंबर 2017 को वर्चुअल करेंसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। इसमें रिजर्व बैंक, सेबी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

2.1 समिति का कहना है कि निजी क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी देश में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर यानी वैध दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए।

2.2 समिति ने क्रिप्टोकरेंसी प्रौद्योगिकी के विकास के मद्देनजर एक स्थायी समिति के गठन की सिफारिश भी की है, ताकि जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर कार्यवाही की जा सके।

2.3 समिति ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैनिंग क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2019 शीर्षक से विधेयक का एक मसौदा भी तैयार किया है।

2.4 प्रस्तावित विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को क्रिप्टोकरेंसी खरीदने या बेचने, निवेश करने या इसे फंड के रूप में जुटाने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार द्वारा उठाये जाने वाले संभावित कदम

3.1 सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड के साथ परामर्श कर डिजिटल रुपया जारी कर सकती है।

3.2 साथ ही RBI किसी भी विदेशी डिजिटल मुद्रा को भी वैध विदेशी मुद्रा की मान्यता प्रदान कर सकती है। डिजिटल रुपया DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा।

3.3 क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने वाले कानून का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दस साल तक की सजा और 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी का भारत में कारोबार

4.1 भारत में क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार कितना है, इस बारे में कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं है लेकिन समिति ने एक न्यूज पोर्टल की खबर का हवाला देते हुए कहा है कि फरवरी 2018 में देश के 24 एक्सचेंज में 50 लाख ट्रेडर थे, जो हर दिन करीब 1,500 बिटकॉइन यानी लगभग एक अरब रुपये के बराबर का लेन देन कर रहे थे।

डीएलटी क्या है?

5.1 डीएलटी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजेक्शन और डाटा एक स्वतंत्र कंप्यूटर में रिकॉर्ड या स्टोर किया जाता है, जबकि परंपरागत लेजर में डाटा एक जगह केंद्रीयकृत रूप से स्टोर किया जाता है।

5.2 डीएलटी आधारित प्रणालियों को बैंक और अन्य वित्तीय कंपनियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि ऋण देने के लिए प्रक्रियाओं की जांच हो सके। इसके अलावा इसके जरिये संपार्श्विक प्रबंधन (Collateral Management), धोखाधड़ी का पता लगाने और बीमा में दावों का प्रबंधन और प्रतिभूति बाजार में सामंजस्य व्यवस्था की सुविधा होगी।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

6.1 क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कम्प्यूटर एल्गोरिथ्म पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में भी नहीं होती।

6.2 यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीददारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है।

राइट टू रिकॉल

चर्चा का कारण

1.1 निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल की माँग भी हाल के वर्षों में की जाती रही है।

विशेषता

2.1 राइट टू रिकॉल प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रदर्शन से असंतुष्ट होने पर या उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर या ऑफिस में रहने के दौरान कुप्रबंधन की दशा में निर्वाचित प्रतिनिधि के पुनर्निर्वाचन हेतु आवेदन दी जाती है।

भारत एवं विश्व के संदर्भ में

3.1 वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव में है और इसे विधानसभा एवं लोकसभा के स्तर पर भी अपनाने की माँग की जा रही है।

3.2 जहाँ तक अन्य देशों की बात है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 19 राज्यों में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के वापस बुलाने का प्रावधान है।

3.3 हालांकि इसका अभी तक केवल दो बार ही प्रयोग हुआ। 1921 में उत्तरी डकोटा में तथा 2003 में कैलिफोर्निया में। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तथा स्विट्जरलैंड के 26 कैंटन में से छः में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है।

3.4 वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 1999 से इसकी सांविधानिक व्यवस्था है। खास बात यह है कि वहाँ राष्ट्र के प्रधान के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.5 ब्रिटिश संसद में 2014 के एक विधेयक के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। जहाँ दो स्थितियों में राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया जा सकता है: एक वर्ष से कम की सजा वाले अपराध में दोषी पाए जाने पर (एक वर्ष से अधिक की सजा होने पर सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है) तथा जब हाउस ऑफ कॉमंस किसी सांसद को 21 बैठक दिवस या 28 कैलेंडर दिवस के लिए निलंबित कर देता है। रिकॉल याचिका को कम से कम 10 प्रतिशत निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित होना जरूरी है।

चुनौतियाँ

4.1 राइट टू रिकॉल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि पराजित उम्मीदवार चुनाव में हारने के बाद ही जीते हुए उम्मीदवार को वापस बुलाने के लिए प्रयास आरंभ कर सकते हैं।

4.2 संविधान की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने भी इस मुद्दे पर विचार किया था। परंतु उसने व्यावहारिक नहीं माना और इसे लागू करना असंभव माना।

4.3 इसका एक अन्य खतरा यह भी है कि प्रभुत्वशाली जाति के लोग निम्न जाति के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को परेशान करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं।

पक्ष में तर्क

5.1 यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन वादों की लेखा-बही देनी होती है जिसका उन्होंने चुनाव से पहले किया था।

5.2 यह असंतुष्ट नागरिकों को अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि को 'अनिर्वाचित' कर भूल सुधार का मौका प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें शासन में लोगों का विश्वास बढ़ता है।

5.3 इससे चुनाव में होने वाले भारी खर्चों में भी कमी आएगी क्योंकि उम्मीदवार यह जानते होंगे कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता है इसलिए वे चुनाव प्रचार पर कम खर्च करेंगे।

5.4 इस अधिकार के परिणामस्वरूप जनता द्वारा राजनीतिक प्रदर्शन की निरंतर निगरानी व समीक्षा की जा सकेगी।

विपक्ष में तर्क

6.1 राइट टू रिकॉल से 'आधिक्य लोकतंत्र' का रूप सामने आएगा। यह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को दरकिनार कर देगा।

6.2 यह अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा की शर्त पर बहुसंख्यकों की प्राथमिकता के प्रति पूर्वाग्रह को बढ़ावा देगा। यह पक्षकारों के संरक्षण के वितरण (clientelist distribution of patronage) को बढ़ावा देगा।

6.3 दीर्घकालिक परिणाम के बजाय अल्पकालिक लाभों पर बल देने को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

6.4 राइट टू रिकॉल का प्रावधान इस वैधानिकता का न केवल उल्लंघन करता है वरन व्यापक जन हित के बजाय स्थानीय या निर्वाचन क्षेत्र विशेष के मुद्दे पर विचार करने को प्रेरित करेगा।

निष्कर्ष

7.1 इससे पहले से मौजूद भ्रष्टाचार, पैसा व प्रभाव का दुरुपयोग और बढ़ेगा क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनके खिलाफ वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाए।

7.2 उपर्युक्त वजहों से ही विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) ने भारत में राइट टू रिकॉल के किसी भी रूप को अपनाने की सिफारिश नहीं की।

वैश्विक नवाचार सूचकांक-2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 'वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2019' को लॉन्च किया। भारत इस सूचकांक में पिछले वर्ष के 57वें पायदान से पाँच स्थान ऊपर चढ़कर वर्ष 2019 में 52वें पायदान पर पहुँच गया है।

क्या है

2.1 जीआईआई रैंकिंग का प्रकाशन हर साल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा जीआईआई के ज्ञान साझेदारों द्वारा किया जाता है।

2.2 यह 129 अर्थव्यवस्थाओं की जीआईआई रैंकिंग का 12वाँ संस्करण है, जो 80 संकेतकों पर आधारित है।

2.3 बौद्धिक संपदा संबंधी आवेदन दाखिल करने की दरों से लेकर मोबाइल-एप्लीकेशन बनाना, शिक्षा पर व्यय और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रकाशन तक इन संकेतकों में शामिल हैं।

2.4 वैश्विक नवाचार सूचकांक के शीर्ष 25 देशों में भारत अपने आपको भी शुमार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जीआईआई 2019 का थीम

4.1 वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2019 का थीम 'स्वस्थ जीवन का सृजन-चिकित्सा नवाचार का भविष्य' है। इसका उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य सेवा पर फोकस करना है। इस थीम के तहत अच्छा स्वास्थ्य (वेलनेस) सुनिश्चित करना समाज का हिस्सा बन जाता है।

जीआईआई 2019 के मुख्य बिंदु

5.1 जीआईआई में स्विट्जरलैंड अब भी पहले स्थान पर है। इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी तथा इजरायल का स्थान आता है।

5.2 इस सूचकांक में चीन 14वें स्थान पर, पाकिस्तान 105वें स्थान पर, नेपाल 109वें स्थान पर और बांग्लादेश 116वें स्थान पर है।

5.3 भारत जीआईआई में 50वें स्थान पर पहुँचने के लिए अपनी कोशिश को निरंतर जारी रखेगा। ईरान 61वें स्थान पर और कजाकिस्तान 79वें स्थान पर है।

5.4 मध्य आय वाले देश खासकर एशियाई देशों में तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल पेटेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है।

5.5 अमेरिका, चीन और जर्मनी में अधिकांश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर हैं जबकि ब्राजील, भारत, ईरान, रूस और तुर्की टॉप 100 में बना हुआ है।

समस्याएँ

6.1 शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर, देश के विभिन्न हिस्सों में गहराया जल संकट, तेजी से खत्म होते प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे और खाद्य पदार्थों की बर्बादी प्रमुख समस्याएँ हैं।

सुझाव

7.1 उपर्युक्त रैंकिंग में हुए सुधार से देशवासियों को प्रेरित होकर समाज के हाशिये पर पड़े लोगों के साथ साथ वंचित तबकों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

7.2 अनुसंधान एवं विकास के जरिए भारत के समक्ष मौजूद विभिन्न समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूँढे जाने चाहिए।

7.3 देश के समक्ष मौजूद इन सभी समस्याओं का समाधान अभिनव आइडिया के जरिए किया जाना चाहिए। भारत को निश्चित तौर पर एक उत्तरदायी देश होना चाहिए।

7.4 इसके साथ ही यहाँ तक कि देश के सुदूरतम इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों को सेवाएँ लेकर इस दिशा में एक मिशन के रूप में काम करना चाहिए।

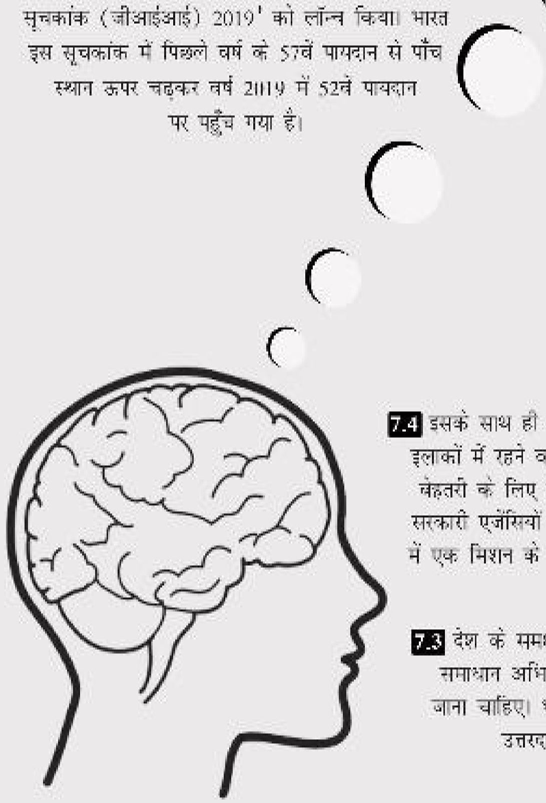

विदेशी संप्रभु बॉण्ड

क्या होता है संप्रभु बॉण्ड

2.1 बॉण्ड निश्चित रिटर्न देने वाला एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा कंपनियां या सरकार कर्ज जुटाती हैं जो बॉण्ड खरीदता है वह एक तरह से सरकार या कंपनी को कर्ज दे रहा होता है और उसे इसके बदले एक निश्चित समय में मूलधन के साथ एक निश्चित रिटर्न देने का वायदा किया जाता है।

2.2 संप्रभु बॉण्ड किसी सरकार द्वारा जारी एक ऐसा डेटा सिक्योरिटी होता है जिसे विदेशी मुद्रा में भी जारी किया जा सकता है।

2.3 इस तरह विदेश में संप्रभु बॉण्ड जारी कर सरकार धन जुटाती है और उस पैसे को विकास में लगाती है। बाद में मैच्योरिटी पर यह पैसा सूद के साथ वापस किया जाता है।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में कई विशेषज्ञों द्वारा चिंता जताए जाने को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वह विदेशों में जारी किए जाने वाले सरकारी बॉण्ड पर एक विस्तृत अध्ययन करे।

1.2 उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019 20 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार अपने कर्ज का एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में सरकारी बॉण्ड विदेशी बाजारों में जारी कर जुटाएगी।

पक्ष में तर्क

3.1 इसके पक्ष में दलील यह दी जा रही है कि इससे सरकार के ऋण-आधार का विस्तार होगा और चूंकि सरकार अपने कर्जे का एक अंश विदेशों से प्राप्त करेगी, इसलिए निजी क्षेत्र के लिए घरेलू बाजार से सस्ता कर्ज लेने का रास्ता तैयार होगा।

3.2 इस प्रकार का कदम घरेलू बाजार में सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल (Bond Yield) को कम कर सकता है जिसमें घरेलू, बचत, डाकघर जमाओं के ब्याज दरों में कमी आ सकती है।

3.3 जीडीपी अनुपात में भारतीय सरकार का ऋण (~ 68%) बहुत अधिक नहीं है, विनिमय दर स्थिर है और विदेशी मुद्रा भंडार उच्च है। इस प्रकार, किसी भी वैश्विक झटके को अवशोषित करने के लिए भारत के पास समष्टि आर्थिक स्थिरता है।

3.4 भारत स्थिरता की स्थिति में है। रुपया स्थिर है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर नई रिकॉर्ड ऊँचाइयों पर जा रहा है। पिछले साल जो कमी आई वह वापस पूरी हो गई है।

3.5 आरबीआई द्वारा खोले गए स्वैप विंडो की भारी मांग है जिसके तहत लाखों डॉलर प्राप्त हुए हैं। विदेशी उधारी सरकार के कुल उधारी कार्यक्रम का हिस्सा होगी।

3.6 एक अनुमान के अनुसार, सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए 2019-20 में बाजार में 4.48 लाख करोड़ रुपये की रकम जुटाएगी। इसके लिए विदेशी संप्रभु बॉण्ड उपयोगी साबित हो सकते हैं।

विपक्ष में तर्क

4.1 विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का भार सरकार पर पड़ेगा. हेजिंग पर खर्च की जरूरत के कारण ऐसे बांडों पर बचत कम होगी, घरेलू वित्तीय बाजार पर विदेशी बाजारों के उतार चढ़ाव का जोखिम बढ़ जाएगा तथा स्थानीय ऋण बाजार में विदेशी पूंजी प्रवाह प्रभावित होगा।

4.2 असली संकट यह है कि भारत की घरेलू बचत दर जीडीपी के करीब चार प्रतिशत अंकों तक गिर गई है और इसमें लगभग पूरी तरह से घरेलू बचतों का योगदान है जो कि सरकार और कॉर्पोरेट जगत के लिए लगातार लिए जाने वाले उधारों का मुख्य स्रोत है।

4.3 वार्षिक बचत में जीडीपी के 4 प्रतिशत अंक की कमी का मोटे तौर पर अर्थ सालाना निवेश के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी के तौर पर निकलता है। यह कमी घरेलू बचत में होने वाली कमी है।

4.4 सरकार संप्रभु बॉन्ड बाजार से घरेलू बचतों में आई इस तेज गिरावट की भरपाई करना चाहती है। बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की बचत दर में प्रणालीगत कमी आई है और बजट में इस समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

4.5 रघुराम राजन ने भी ध्यान दिलाया है, संप्रभु उधार काफी जोखिम भरे और विनिमय दरों की अस्थिरता और वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की मनमर्जी से प्रभावित होने वाले होते हैं।

4.6 यह डॉलर में कर्ज लेने के लिए बिल्कुल भी मुफीद समय नहीं है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के रूप में एक अतिसाधारण तूफान का सामना कर रही है, जिससे कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के धराशायी हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।

4.7 वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत तेजी से धीमी पड़ रही है और भारत भी तमाम क्षेत्रों में उपभोग में अभूतपूर्व गिरावट का सामना कर रहा है।

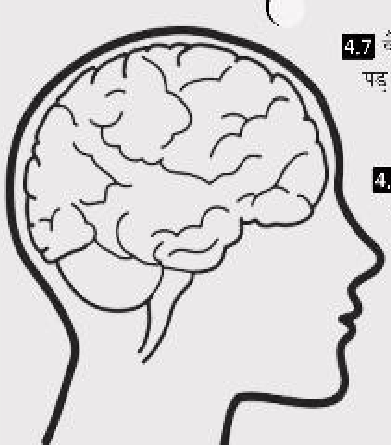

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा का कारण

1.1 राज्यसभा में 22 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हो गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने हेतु लाया गया है।

1.2 गौरतलब है कि लोकसभा में 19 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक बिल को मंजूरी दी गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2.1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी।

संशोधन के प्रमुख बिंदु

3.1 इस संशोधन विधेयक के तहत आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है।

3.2 आयोग के सदस्यों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन किया जा सके, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी।

3.3 दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों सम्बन्धी मामलों को राज्य आयोगों को प्रदत्त किया जा सके, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

3.4 इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बन्धी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।

3.5 आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पाँच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जा सके और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

एनएचआरसी की संरचना

4.1 एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अन्य सदस्य होने चाहिए-

4.1.1 एक सदस्य, भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश हो।

4.1.2 एक सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश।

4.1.3 दो ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें मानवाधिकार संबंधित मामलों की जानकारी हो या वे इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

4.1.4 इन सदस्यों के अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग पदेन सदस्य के तौर पर काम करते हैं।

छह सदस्यीय समिति

5.1 राष्ट्रपति छः सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। छह सदस्यीय समिति में निम्नलिखित लोग होते हैं- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता।

क्या होते हैं मानवाधिकार?

6.1 संयुक्त राष्ट्र (UN) की परिभाषा के अनुसार मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है।

एनएचआरसी की शक्तियाँ

7.1 इसे नागरिक अदालत के सभी अधिकार प्राप्त हैं और इसकी कार्यवाही का चरित्र न्यायिक है।

7.2 यह केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकारी या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण से सूचना की माँग या रिपोर्ट की माँग कर सकता है।

7.3 इसे अपने उद्देश्य के लिए किसी भी अधिकारी या केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार की जांच एजेंसी की सेवा लेने का अधिकार दिया गया है। आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से सबंधित सूचना के लिए विभिन्न एनजीओ के साथ सहयोग भी करता है।

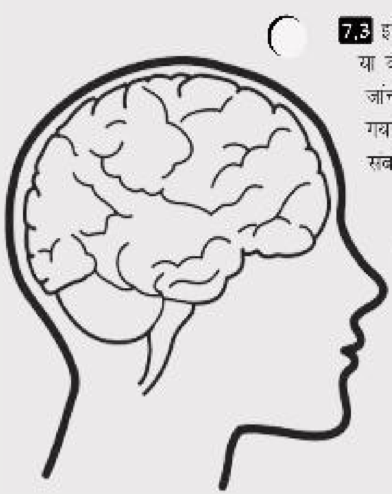

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून में संशोधन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से जुड़े सात संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार इन प्रस्तावों को संसद में मंजूरी के लिए पेश करेगी, जिसके पास हो जाने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा।

पृष्ठभूमि

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते साढ़े चार वर्षों में बैंकों को लेकर कई बुरी खबरें सामने आईं। इनमें बैंकिंग घोटाले मुख्य थे। इन घटनाओं ने अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुँचाया।

2.2 तमाम अनियमितताओं के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में ढाँचागत सुधार करते हुए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) कानून को पारित किया था।

संशोधन में क्या?

3.1 संशोधन में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के अधिकारों में साफ-साफ फर्क बताया गया है।

3.2 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रेस्क्यू प्लान के पक्ष में वोट नहीं करते हैं। दिवालिया हो चुकी कंपनी की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

3.3 फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी पक्षों को 270 दिन का वक्त मिलता है। इसमें कानूनी लड़ाई और दूसरी सभी न्यायिक प्रक्रिया शामिल हैं।

3.4 मगर अब 330 दिन का वक्त इसलिए तय किया गया है क्योंकि कई बार प्रमोटर्स आक्रामक ढंग से अपने केस की पैरवी करते हैं और कंपनी पर अपना कंट्रोल खत्म होने से रोकना चाहते हैं। हालाँकि कई मामलों में काफी वक्त लग जाता है।

आवश्यकता क्यों?

4.1 दरअसल, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के लचीले प्रावधानों के कारण बैंकों के एनपीए बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये प्रत्यक्ष रूप से बैंकों और अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे।

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है?

5.1 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी बैंक का कर्ज नहीं लौटाती है तो उससे कर्ज वसूलने के लिए दो तरीके हैं। एक या तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। इसके लिए एनसीएलटी की विशेष टीम कंपनी से बात करती है।

5.2 कंपनी के मैनेजमेंट के राजी होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता है। बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर कर्ज के पैसे वसूलता है। बेशक यह राशि कर्ज की राशि से कम होता है, मगर बैंक का पूरा कर्जा डूबता नहीं है।

5.3 कर्ज वापसी का दूसरा तरीका है कि मामला एनसीएलटी में ले जाया जाए। कंपनी के मैनेजमेंट से कर्ज वापसी पर बातचीत होती है। इस प्रकार180 दिनों के भीतर कोई समाधान निकालना होता है।

5.4 कंपनी को उसकी जमीन या संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का विकल्प दिया जाता है। ऐसा न होने पर कंपनी को ही बेचने का फैसला किया जाता है। खास बात यह है कि जब कंपनी को बेचा जाता है तो उसका प्रमोटर या डायरेक्टर बोली नहीं लगा सकता।

लाभ

6.1 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून में 7 संशोधन किए गए हैं। अब कंपनियों के मर्जर और डीमर्जर को लेकर पारदर्शिता आएगी।

6.2 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत कर्ज न चुकाने वाले बकाएदारों से निर्धारित समय के अंदर कर्ज वापसी के प्रयास किए जाते हैं। इस कोशिश से बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार जरूर हुआ है।

6.3 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की सफलता के पीछे एक विशेष कारण यह है कि अब बैंक के बकाएदारों को अपनी खुद की ही संपत्ति की निलामी एवं बोली लगाने पर पूर्ण पाबंदी है।

6.4 जानकारों के अनुसार आईबीसी से कर्जदारों का रवैया बदलने लगा है। पेमेंट से जुड़ा अनुशासन बेहतर हुआ है क्योंकि नियामक ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

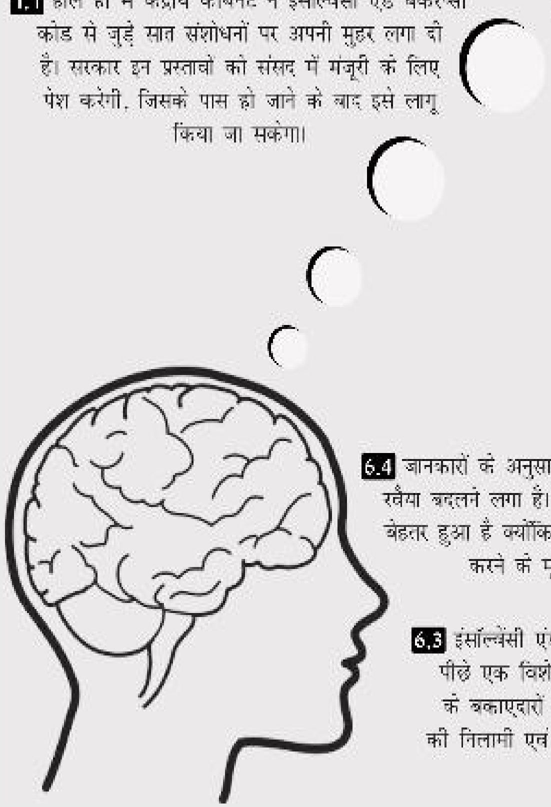

भौगोलिक सूचना प्रणाली

संदर्भ

1.1 स्थान आधारित सूचना डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे विकास कार्यक्रमों के न सिर्फ नियोजन और निगरानी में मदद मिलती है बल्कि नागरिक से संबंधित विभिन्न सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और कारगर तरीके से प्रदान करने में भी मदद मिलती है।

पृष्ठभूमि

2.1 डिजिटल इंडिया के तहत जीआईएस का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसम्बर 2015 में नेशनल सेंटर ऑफ जीओ-इनफॉर्मेटिक्स (एनसीओजी) की शुरूआत की थी।

जीआईएस

3.1 जीआईएस में इतनी क्षमता है कि यह कार्यक्रमों की कारगर और कुशल निगरानी से सुशासन में मदद करता है। कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों की सक्रियता से पहचान की जा सकती है और संसाधनों का कुशल आवंटन/प्रबंधन किया जा सकता है।

3.2 सरकारी भूमि सूचना प्रणाली, खनन निगरानी प्रणाली, विकास के आकांक्षी जिलों के लिए जीआईएस प्लेटफार्म, जल संसाधनों, औद्योगिक सूचना प्रणाली और सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली समेत विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं से यह साबित हो चुका है।

जीआईएस की प्रमुख परियोजनाएँ

4.1 आकांक्षी जिले: इस परियोजना का उद्देश्य देश के 117 आकांक्षी जिलों में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का जीआईएस आधारित नियोजन सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है।

4.2 पोर्टल पर उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं में भू-आकृति, जनसांख्यिकी, जनगणना आधारित सुविधाएँ, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य व पोषाहार, वन संबंधी आँकड़े, बुनियादी ढाँचा, जल संसाधन और पशुपालन आदि शामिल हैं।

4.3 औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय विनिर्माण बस्ती योजना औद्योगिक पार्कों, भू-संपदाओं, बस्तियों, इलाकों, क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग ने नीति-निर्माण को आसान बना दिया है और इससे निवेशकों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने में भी मदद मिली है।

4.4 खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस): एमएसएस वेब आधारित पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य (अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए) ऑटोमैटिक रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन के जरिए अवैध खनन को रोकना है।

4.5 खनन पट्टों के खसरा मानचित्रों को जीओ-संदर्भित किया गया और उपग्रह चित्रों पर इसे अंकित किया गया। इससे पट्टे वाली जमीन की चारदीवारी के 500 मीटर के दायरे में किसी भी असामान्य गतिविधि को रोका जा सकता है। हाथ के बने और ऑटोमेटेड उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से किसी भी कमी का पता लगा लिया जाता है।

4.6 सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एसबीएमएस): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए विकसित ऑनलाइन प्लेटफार्म (वेब आधारित ऐप) एसबीएमएस अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारी आवेदकों को लाभ राशि के संवितरण का प्रबंधन करता है।

4.7 बैंकों से जुड़ी योजनाओं (जहाँ मंत्रालय सब्सिडी के लिए राज्यों को धन अंतरित करता है) और बैंकों के असंबद्ध योजनाएँ (जिसमें तीनों शीर्ष निगम, यानी NSFDC, NBSFDC और NSKFDC) दोनों ही के कुशल प्रबंधन में सुगमता लाने के लिए इसे लागू किया गया है।

4.8 नहर मानचित्रण और फसली क्षेत्र निगरानी, जल क्षेत्र निगरानी: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत सभी चालू और निर्माणाधीन नहर परियोजनाओं का मानचित्रण, सतही जल की छोटी परियोजनाओं और मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं में मदद दी जाती है।

4.9 कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस): कोयला मंत्रालय के लिए विकसित सीएमएसएमएस पोर्टल का उद्देश्य कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए ऑटोमैटिक रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना तथा रीयल टाइम ट्रैकिंग व निगरानी करना है।

अन्य फायदे

5.1 इसके अलावा सरकार ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनेलेटिक्स जैसी नयी उभरती प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने और उन्हें जीआईएस के साथ समन्वित करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि विकास संबंधी नियोजन, नागरिक केन्द्रित सेवाएँ प्रदान करने और सुशासन को बढ़ावा मिले।

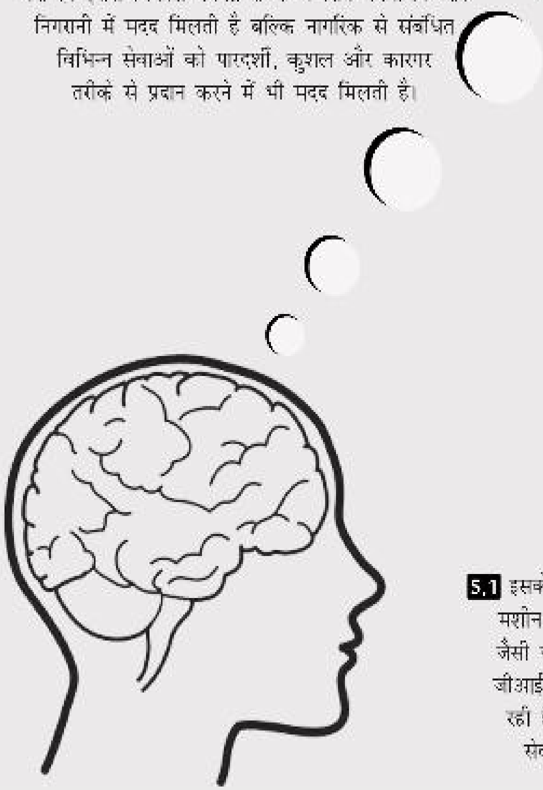

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. आभासी मुद्रा पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट

प्र. क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है।
2. क्रिप्टोकरेंसी को भारत में लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा का दर्जा प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में भारत सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक तौर पर डिजिटल करेंसी जारी करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि निजी क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समिति ने य भी बताया कि किसी भी देश में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर यानी वैध दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। गौरतलब है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी का नियमन वर्तमान में नहीं है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

2. राइट टू रिकॉल

प्र. राइट टू रिकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था देश के सभी राज्यों में है।
2. विधि आयोग ने भारत में राइट टू रिकॉल के सभी रूपों को अपनाने की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल की माँग भी हाल के वर्षों में की जाती रही है। वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव में है और इसे विधानसभा एवं लोकसभा के स्तर पर भी अपनाने की माँग की जा रही है। विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) ने भारत में राइट टू रिकॉल के किसी भी रूप को अपनाने की सिफारिश नहीं की। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

3. वैश्विक नवाचार सूचकांक-2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10 पायदान ऊपर चढ़कर 50वें पायदान पर पहुँच गया है।
2. यह 129 अर्थव्यवस्थाओं की जीआईआई रैंकिंग का 12वाँ संस्करण है, जो 80 संकेतकों पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 'वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2019' को लॉन्च किया। भारत इस सूचकांक में पिछले वर्ष के 57वें पायदान से पाँच स्थान ऊपर चढ़कर वर्ष 2019 में 52वें पायदान पर पहुँच गया है। जीआईआई रैंकिंग का प्रकाशन हर साल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा जीआईआई के ज्ञान साझेदारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

4. विदेशी संप्रभु बॉण्ड

प्र. विदेशी संप्रभु बॉण्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संप्रभु बॉण्ड किसी सरकार द्वारा जारी एक ऐसा डेटा सिक्योरिटी होता है जिसे विदेशी मुद्रा में भी जारी किया जा सकता है।
2. इस तरह विदेश में संप्रभु बॉण्ड जारी कर सरकार धन जुटाती है और उस पैसे को विकास में लगाती है। बाद में मैच्योरिटी पर यह पैसा सूद के साथ वापस किया जाता है।
3. संप्रभु उधार जोखिम से भरे नहीं होते साथ ही ये वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की मनमर्जी से भी प्रभावित नहीं होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः बॉण्ड निश्चित रिटर्न देने वाला एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा कंपनियां या सरकार कर्ज जुटाती हैं जो बॉण्ड खरीदता है वह एक तरह से सरकार या कंपनी को कर्ज दे रहा होता है और उसे इसके बदले एक निश्चित समय में मूलधन के साथ एक निश्चित रिटर्न देने का वायदा किया जाता है। इस तरह विदेश में संप्रभु बॉण्ड जारी कर सरकार धन जुटाती है और उस पैसे को विकास में लगाती है। बाद में मैच्योरिटी पर यह पैसा सूद के साथ वापस किया जाता है। रघुराम राजन ने भी ध्यान दिलाया है, संप्रभु उधार काफी जोखिम भरे और विनिमय दरों की अस्थिरता और वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की मनमर्जी से प्रभावित होने वाले होते हैं। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल, 2019

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सांविधिक निकाय है।
2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः राज्यसभा में 22 जुलाई 2019 को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हो गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने हेतु लाया गया है। आयोग के सदस्यों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन किया जा सके, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून में संशोधान

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी बैंक का कर्ज नहीं लौटाती है तो उससे कर्ज वसूलने के लिए कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है।
2. वर्तमान में दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी पक्षों को 250 दिन का समय मिलता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः तमाम अनियमितताओं के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में ढाँचागत सुधार करते हुए 2016 मे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) कानून को पारित किया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी बैंक का कर्ज नहीं लौटाती है तो उससे कर्ज वसूलने के लिए दो तरीके हैं। एक या तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। इसके लिए एनसीएलटी की विशेष टीम कंपनी से बात करती है। कर्ज वापसी का दूसरा तरीका है कि मामला एनसीएलटी में ले जाया जाए। कंपनी के मैनेजमेंट से कर्ज वापसी पर बातचीत होती है। इस प्रकार 180 दिनों के भीतर कोई समाधान निकालना होता है। फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी पक्षों को 270 दिन का वक्त मिलता है। इसमें कानूनी लड़ाई और दूसरी सभी न्यायिक प्रक्रिया शामिल हैं। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

7. भौगोलिक सूचना प्रणाली

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डिजिटल इंडिया के तहत जीआईएस का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसम्बर 2015 में नेशनल सेंटर ऑफ जीओ-इनफॉर्मेटिक्स (एनसीओजी) की शुरूआत की थी।
2. जीआईएस में इतनी क्षमता है कि यह कार्यक्रमों की कारगर और कुशल निगरानी से सुशासन में मदद करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः स्थान आधारित सूचना डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे विकास कार्यक्रमों के न सिर्फ नियोजन और निगरानी में मदद मिलती है बल्कि नागरिक से संबंधित विभिन्न सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और कारगर तरीके से प्रदान करने में भी मदद मिलती है। जीआईएस में इतनी क्षमता है कि यह कार्यक्रमों की कारगर और कुशल निगरानी से सुशासन में मदद करता है। कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों की सक्रियता से पहचान की जा सकती है और संसाधनों का कुशल आवंटन/प्रबंधन किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही प्रकाशित "चन्द्रशेखर - द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स" पुस्तक के लेखक कौन हैं?

-हरिवंश

2. हाल ही में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में किस राज्य ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है?

-गुजरात (261.97 मेगावाट)

3. हाल ही में अट्टूर रवि वर्मा का निधन हो गया, वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और अनुवादक थे?

-मलयालम

4. हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से किसने कार्यभार संभाला?

-बोरिस जॉनसन

5. हाल ही में किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिये आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है?

-मध्य प्रदेश

6. भारत और किस देश के बीच 'हैंड इन हैंड' नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन उमरोई, मेघालय में किया जायेगा?

-चीन

7. हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019-2020) की विकास दर को 7.2 प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है?

-7 प्रतिशत

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. वर्ष 2024 तक भारत सरकार ने देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइप से पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। यद्यपि यह एक सराहनीय लक्ष्य है किंतु मौजूदा हालात में इस मुश्किल लक्ष्य को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है?

2. भारत की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका हो सकती है। चर्चा कीजिए।

3. भारत को नाटो देश की सदस्यता मिलने से संभावित लाभों एवं उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करें।

4. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि पश्चिम एशियाई देशों में जारी उठापटक के बीच भारत ने इन देशों के साथ संबंधों में तेजी दिखाई है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

5. हाल के प्रमुख घटनाक्रम का उदाहरण देते हुए बताएं कि कैसे राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की दिशा में विफल साबित हुई हैं?

6. भारत में कौन सी सूचना सच है और कौन सी झूठ, इसका पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक स्कूली स्तर पर मीडिया साक्षरता बढ़ाने पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। चर्चा करें।

7. भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में महिलाओं की भूमिका की चर्चा कीजिए।

सात महत्त्वपूर्ण खबरें

1. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019

लोकसभा ने 29 जुलाई 2019 को 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक-2019' को मंजूरी दे दी। लोकसभा में इससे पहले संपूर्ण विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर गरीब-विरोधी और सामाजिक न्याय एवं सहकारी संघवाद के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को समाप्त कर, उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया जायेगा। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के उद्देश्य से ये बिल लेकर आई है।

कानून बन जाने पर यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) कानून 1956 की जगह ले लेगा। जिसमें 'ब्रिज कोर्स' का एक विवादित प्रावधान भी शामिल किया गया था। इसके जरिए वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों (आयुष) की प्रैक्टिस करने वालों को एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की छूट होती है।

विधेयक का उद्देश्य

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में मेडिकल शिक्षा (medical education) व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना है। साथ ही साथ देश में मेडिकल शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो विश्व स्तर की हो।

नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT) क्या है?

इस बिल के पास होने के बाद अब एमबीबीएस (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) पास करने के बाद प्रैक्टिस के लिए नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT) देना होगा। नेशनल एक्जिट टेस्ट अभी केवल विदेश से मेडिकल पढ़कर आने वाले छात्र देते हैं। डॉक्टरों को एमबीबीएस कोर्स के बाद मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस हेतु अब नेशनल एक्जिट टेस्ट की परीक्षा में पास होना होगा। उन्हें इस टेस्ट को पास करने के बाद ही मेडिकल प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस मिलेगा।

समय-समय पर सभी चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग समय-समय पर सभी चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन भी करेगा। आयोग भारत के लिए एक मेडिकल रजिस्टर के रख-रखाव की सुविधा प्रदान करेगा तथा मेडिकल सेवा के सभी पहलुओं में नैतिक मानदंड को भी लागू करवाएगा।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC)

केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) बनाएगी। यह परिषद मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में राज्यों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का मौका देगी। ■

2. चीन का पहला वाणिज्यिक रॉकेट

हाल ही में चीन की एक प्रमुख स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस (iSpace) ने चीन का पहला वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च किया जो उपग्रह को कक्षा में ले जाने में सक्षम है। चीन का यह कदम अंतरिक्ष के निजी उपयोग के संदर्भ में बेहद महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि आई स्पेस ने 6 जुलाई, 2019 को हाइपरबोला-1 (Hyperbola-1) के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की थी। हाइपरबोला-1 को दो उपग्रहों और पेलोड के साथ जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (Jiuquan Satellite Launch Centre) से एक पूर्व निर्धारित कक्षा में भेजा गया। इससे पहले वर्ष 2018 चीन की रॉकेट निर्माता कंपनियों लैंडस्पेस (LandSpace) और वनस्पेस (OneSpace) ने इस तरह के प्रयास किये थे, लेकिन ये दोनों ही रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने में असफल रहे।

हाइपरबोला-1 मिशन

आई स्पेस के अनुसार, हाइपरबोला-1 रॉकेट की ऊँचाई लगभग 68 फीट (20.8 मीटर) तथा अधिकतम व्यास लगभग 4.6 फीट (1.4 मीटर) है। हाइपरबोला-1 का टेकऑफ वजन लगभग 68 हजार पाउंड (31 मीट्रिक टन) है।

आई स्पेस के अनुसार, यह रॉकेट 573 पाउंड नीतभार/पेलोड द्रव्यमान को 310 मील की ऊँचाई पर सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun-Synchronous Polar Orbit) तक पहुँचाने में सक्षम है।

हाइपरबोला-1 के साथ CAS-7B क्यूबसैट (माइक्रोसेटेलाइट) भेजा गया है। यह एक Amateur Radio Mission है जिसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Beijing Institute of Technology) द्वारा विकसित किया गया है।

हाइपरबोला-1 के साथ एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (Aerospace Science and Technology Space Engineering Development Co- Ltd) का एक उपग्रह भी भेजा गया है।

माइक्रोसैटेलाइट (Microsatellite) क्या है?

- माइक्रोसैटेलाइट आकार में सामान्यत: जूते के डिब्बे जैसा होता है। यह पारंपरिक रूप से बड़े उपग्रहों का छोटा संस्करण है।

- ये मौसम प्रणाली, फसलों और आपदा स्थलों आदि की निगरानी में कंपनी या संगठन की मदद करते हैं।इनका उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी किया जा सकता है।
- अधिकांश कंपनियाँ माइक्रोसैटेलाइट्स का चयन इसलिये कर रही हैं क्योंकि इनकी निर्माण लगत कम होती है और इन्हें अंतरिक्ष में भेजना अपेक्षाकृत आसान होता है।
- वर्तमान में माइक्रोसैटेलाइट्स के मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रभुत्त्व है।

■

3. कैंसर और बांझपन का कारक बन सकता है 5G नेटवर्क

भारत समेत पूरी दुनिया में नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क 5जी पर तेजी से काम शुरू हो गया है। सैमसंग ने जहां अपना 5जी स्मार्टफोन बाजार में उतार दिया है, वहीं कई ऑटोमोबाइल कंपनियां 5जी इंटरनेट कनेक्टेड कार बाजार में पेश कर रही हैं। वहीं चीन ने 5जी के व्यावसायिक इस्तेमाल को हरी झंडी भी दे दी है। इसे चीन के टेलीकॉम क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ कहा जा रहा है।

5जी की स्पीड को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसके प्रयोग से सेकंडों में बड़ी-से-बड़ी फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन इन सबके बीच 5जी से सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं।

भारत में जिस प्रकार वैज्ञानिक समुदाय 5जी का विरोध कर रहा है, इसी प्रकार यूरोप में भी 244 वैज्ञानिकों द्वारा 5जी का 5जी अपील नाम से ऑनलाइन विरोध किया जा रहा है। ये वैज्ञानिक 5जी की शुरुआत को तब तक टालने की माँग कर रहे हैं, जब तक कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके संभावित खतरों की जाँच स्वतंत्र वैज्ञानिकों द्वारा नहीं कर ली जाती।

रशियन टाइम्स चैनल ने कुछ दिन पहले ही अपने एक प्रोग्राम में 5जी को इंसानों और जीवों के लिए खतरा बताया। रिपोर्ट में दिखाया गया था कि 5जी के रेडिएशन की वजह से दिमागी कैंसर, बांझपन और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

■

4. लोकसभा से पास हुआ कंपनी संशोधन विधेयक

लोकसभा ने कंपनी कानून में संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (CSR) नियम सख्त हो जाएंगे और जो कंपनियाँ कंपनी कानून के तहत नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कंपनियां CSR की जिस राशि को खर्च नहीं कर पाती हैं, उसे उन्हें एक विशेष खाते में रखना होगा। अगर कंपनियां निर्धारित अवधि में CSR की राशि खर्च नहीं करतीं तो यह प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाएगी।

कंपनी संशोधन विधेयक 2019 सदन के विचारार्थ रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कंपनियां चार साल तक अपने लाभ की दो प्रतिशत राशि CSR गतिविधियों पर खर्च नहीं करती हैं, उन्हें एक विशेष खाते में धनराशि जमा करनी होगी। गौरतलब है कि कंपनी कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी पांच करोड़ रुपये से अधिक लाभ अर्जित करती है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है या उसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक है, उसे तीन साल के औसत शुद्ध लाभ की कम से कम दो प्रतिशत धनराशि CSR गतिविधियों पर खर्च करनी होती है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने CSR खर्च करने की बाध्यता का प्रावधान कानून में किया है। कंपनियों को एक साल में CSR का प्रस्ताव बनाना होगा और तीन साल में उस पर धनराशि खर्च करनी होगी। अगर धन खर्च नहीं हो पाता है तो वह राशि एक अलग खाते में चली जाएगी। यह खाता प्रधानमंत्री राहत कोष का भी हो सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी कानून में संशोधन का उद्देश्य व्यवसाय की प्रक्रिया आसान बनाने और कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों पर नियमों के अनुपालन का बोझ हल्का करने का है। मुखौटा कंपनियों के बारे में सदस्यों की चिंताओं को दूर करते हुए सीतारमण ने कहा कि मुखौटा कंपनियाँ नियमों में परिभाषित नहीं की गयी हैं लेकिन इनसे आशय उन कंपनियों से है जो निष्क्रिय हैं और जिनका पंजीकृत ऑफिस नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार लाख मुखौटा कंपनियों को रजिस्टर से हटा दिया है। ■

5. R-27 एयर-टू-एयर मिसाइल

भारतीय वायुसेना दिन-प्रतिदिन अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न देशों से लड़ाकू विमान और मिसाइल का सौदा कर रही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रूस के साथ एक समझौता किया है। भारतीय वायुसेना ने अपने हवाई युद्ध की छमता को बढ़ाने के लिए रूस से R-27 एयर-टू-एयर मिसाइलों का सौदा किया है जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपया है।

भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में मौजूद सुखोई-30MKI लड़ाकू विमान को इस मिसाइल्स से लैस करना चाहती है, इसीलिए भारतीय वायुसेना ने रूस के साथ ये सौदा किया है।

क्या है R-27 एयर-टू-एयर मिसाइल

R-27 माध्यम दूरी से लेकर लम्बी दुरी तक के मिसाइल प्रणालियों में शामिल है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये हवा से हवा में युद्ध करने वाला मिसाइल है। रूस ने इसे खास तौर से सुखोई और मिग-21 जैसे फाइटर जेट्स की आक्रामक शक्ति को और भी मजबूत करने के

लिए विकसित किया है। और अब जब भारत ने भी रूस के साथ इन मिसाइल के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए है तो बहुत जल्द ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के मिग-21 और सुखोई फाइटर जेट्स के बेड़े में भी शामिल हो जायेगा।

बता दे कि इन मिसाइलों का अधिग्रहण 10-I परियोजनाओ के तहत किया जायेगा जिसके अंतर्गत तीनों सेनाओं (जल सेना, थल सेना, वायु सेना) की अनिवार्यता होगी कि वे एक न्यूनतम अवधी के लिए इन महत्वपूर्ण हथियारों को और इनके पुर्जे को सुरक्षित रखे। इस परियोजना को युद्ध अपव्यय रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ■

6. रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट

भारत सरकार ने 2022 तक 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना का लक्ष्य रखा है, इसमें घर की छतों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल भी शामिल हैं। केन्द्रीय नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा "ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम" का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत में रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन: 18 जुलाई, 2019 तक भारत में 1700 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम स्थापित किये जा चुके हैं। औसतन रूफटॉप सोलर प्लांट से 1.5 मिलियन यूनिट प्रति मेगावाट/वर्ष उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।

रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन में क्षेत्रफल के आधार पर गुजरात देशभर में पहले स्थान पर है, गुजरात में 261.97 मेगावाट रूफटॉप सौर उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में 198.52 मेगावाट तथा तमिलनाडु में 151.62 मेगावाट सौर उर्जा का उत्पादन रूफटॉप सोलर पैनल से किया जा रहा है।

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स से 40,000 मेगावाट उर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करना है।

सोलर रूफटॉप सिस्टम क्या है?

सोलर रूफटॉप सिस्टम घर, दफ्तर, संस्थान अथवा किसी औद्योगिक ईमारत की छत पर लगाया जा सकता है। यह सिस्टम दो प्रकार का होता है:

- सोलर रूफटॉप सिस्टम जिसमे बैटरी के द्वारा भण्डारण किया जाता है
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम

1.5 मिलियन यूनिट प्रति मेगावाट/वर्ष उर्जा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 2022 तक 38 गीगावाट उर्जा का उत्पादन संभव हो सकेगा, इससे प्रतिवर्ष 45.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। ■

7. टेस्ट ऑबजेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 270

हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट ने पृथ्वी से लगभग 73 प्रकाश वर्ष दूर एक बौने तारे और ग्रहीय प्रणाली की खोज की है।

- इस नई ग्रह प्रणाली को टीओआई 270 (टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 270-TESS Object of Interest : TOI) नाम दिया गया है। इस ग्रह प्रणाली में एक बौना ग्रह भी है जो सूर्य के आकार एवं द्रव्यमान से 40 प्रतिशत कम है। इसके तीन ग्रहों या एक्सोप्लैनेट (सौर प्रणाली के बाहर ग्रह) के नाम हैं: टीओआई 270बी, टीओआई 270सी तथा टीओआई 270डी है।

TOI 270b सबसे अंदरूनी ग्रह है। शोधकर्त्ताओं के अनुमान के अनुसार यह पृथ्वी की तुलना में लगभग 25% बड़ा और पथरीला है। यह रहने योग्य नहीं है क्योंकि यह तारे के बहुत करीब स्थित है। TOI 270b हमारे सौर मंडल के बुध ग्रह की तुलना में सूर्य के काफी करीब है।

नासा के अनुसार, TOI 270b का तापमान केवल तारे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। गृह का ताप अन्य कारकों जैसे- एल्बिडो, वायुमंडल से ऊर्जा के परावर्तन आदि से प्रभावित नहीं होता है। इसका तापमान लगभग 490 डिग्री फारेनहाइट (254 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया है।

ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite-TESS)

- TESS सौर मंडल के बाहर के बहिर्ग्रहों और ब्रह्मांड में मानव जीवन की खोज के लिये नासा का अभियान है।
- TESS को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से 18 अप्रैल, 2018 को लॉन्च किया गया था।
- TESS का लक्ष्य वायुमंडलीय अध्ययन के लिये चमकीले, चट्टानी ग्रहों, जो आस-पास के तारों की कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, की एक सूची बनाना है। ऐसे में ग्रहों की यह खोज TESS के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- TESS के कैमरे की गुणवत्ता केपलर मिशन की तुलना में 30 से 100 गुना अधिक उज्ज्वल है साथ ही यह केपलर मिशन की तुलना में 400 गुना बड़े आकाशीय क्षेत्र को कवर करता है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर घटी

- केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। परिषद ने निम्नलिखित अनुशंसा की हैं-
  - वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर में बदलाव किया गया है।
  - सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
  - विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्युत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई।
- जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे।
- सरकार का उद्देश्य है कि साल 2025 तक देश में 30 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो। इससे वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की कर (टैक्स) छूट की बात कही थी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को आकर्षित करने में कंपनियों को मदद मिलेगी।
- आम बजट में भी इससे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कर (टैक्स) छूट की घोषणा की गई थी। इससे पहले 21 जून को हुई जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में ई-व्हीकल पर जीएसटी कटौती का मुद्दा रेट फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था। इस कमेटी की ओर से टैक्स घटाने के विषय पर सहमति दी गई थी।

2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2019

- श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने लोकसभा में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों में संशोधन करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2019 पेश किया। सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ कामगारों की भलाई और देश के आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं क्योंकि देश का स्वस्थ कार्यबल अधिक उत्पादक होगा और दुर्घटनाओं एवं अप्रत्याशित घटनाओं में कमी से नियोक्ताओं को आर्थिक रूप से लाभ होगा। संहिता देश के सभी कार्यबल के लिए सुरक्षा और स्वस्थ कार्य स्थितियों का विस्तार करने के अंतिम उद्देश्य के साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कार्य स्थितियों के प्रावधानों के दायरे को मौजूदा 9 प्रमुख क्षेत्रों से लेकर 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों तक बढ़ाती है। प्रस्तावित संहिता श्रमिकों के कवरेज को कई गुना बढ़ाती है क्योंकि यह 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और विनिर्माण प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसमें आईटी क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान शामिल हैं।

संहिता की अन्य मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- संहिता में व्यापक विधायी रूपरेखा का प्रावाधान है, जो विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार नियम-विनियम बनाने, मानक तय करने और उप-विधि बनाने में सहायक है। इसके परिणामस्वरूप संहिता में अनुच्छेद की संख्या 622 से घटकर 134 हो गई है। इससे कानून सरल होगा और उसमें उभरती टेक्नोलॉजी के अनुरूप परिवर्तन की गुंजाइश होगी और कानून गतिशील होगा।
- नियोक्ता निर्धारित प्रतिष्ठान निर्धारित आयु के ऊपर के कर्मियों के लिए निर्धारित स्वास्थ्य जाँच की वार्षिक नि:शुल्क सुविधा

देंगे। इससे उत्पादकता बढ़ेगी क्योंकि बीमारी का पता लगाना संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य परिक्षण के लिए एक निश्चित उम्र के कर्मचारियों की कवरेज से समावेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

- संहिता में पहली बार प्रतिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी को सरकार द्वारा तय न्यूनतम सूचना के साथ वैधानकि प्रावधान किया गया है। नियुक्ति पत्र के प्रावधान से रोजागर का औपचारिकरण होगा और कर्मचारी का शोषण रूकेगा।
- सरकार द्वारा किसी भी श्रेणी के प्रतिष्ठान में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति बनाने का प्रावधान होगा। इससे प्रतिष्ठान में सुरक्षा और स्वस्थ कामकाजी माहौल को प्रोत्साहन मिलेगा। समिति के भागीदारी मूलक स्वरूप से प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने में प्रोत्साहन मिलेगा।
- मृत्यु या किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में नियोक्ता के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों के उल्लंधन पर दंड का एक हिस्सा अदालत द्वारा पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। दंड के इस हिस्से से घायल कर्मी को सहायता मिलेगी या मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- निर्धारित प्रतिष्ठानों के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा, अवकाश, काम के घंटे या अन्य शर्त के अधीन महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने के लिए अनुमति लेनी होगी। लेकिन रात्रि कार्य के लिए उनकी सहमति लेने के बाद ही ऐसा होगा। इससे लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित विभिन्न मंचों की माँग के अनुरूप है। रात्रि कार्य के लिए महिला कर्मचारी की सहमति और इच्छा की शर्त से प्रावधान का दुरुपयोग टलेगा।

3. वेतन विधेयक, 2019

- लोकसभा में वेतन विधेयक, 2019 पारित हो गया है। विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए चर्चा की शुरूआत करते हुए केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है, जिसका उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को विश्वसनीय और भरोसेमंद कानूनों में तब्दील करना है, जो वक्त की जरूरत है। इस समय 17 मौजूदा श्रम कानून 50 से ज्यादा वर्ष पुराने हैं और इनमें से कुछ तो स्वतंत्रता से पहले के दौर के हैं।
- वेतन विधेयक में शामिल किए गए चार अधिनियमों में से वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 तो स्वतंत्रता से पहले का है और न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 भी 71 साल पुराना है। इसके अलावा बोनस भुगतान विधेयक, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि यह विधेयक सभी कर्मचारियों और कामगारों के लिए वेतन के समयबद्ध भुगतान के साथ ही न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करती है। कृषि मजदूर, पेंटर, रेस्टोरैंट और ढाबों पर काम करने वाले लोग, चौकीदार आदि असंगठित क्षेत्र के कामगार जो अभी तक न्यूनतम वेतन की सीमा से बाहर थे, उन्हें न्यूनतम वेतन कानून बनने के बाद कानूनी सुरक्षा हासिल होगी।
- उन्होंने उम्मीद जताई कि वेतन संहिता एक मील का पत्थर साबित होगी और इससे असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ कामगारों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा।

संहिता की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाती है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम दोनों को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने के प्रावधान हैं। इस विधेयक से हर कामगार के लिए भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा और मौजूदा लगभग 40 से 100 प्रतिशत कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। न्यूनतम जीवन यापन की स्थितियों के आधार पर गणना किये जाने वाले वैधानिक स्तर वेतन की शुरूआत से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे। इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान को अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है।
- वर्तमान में अधिकांश राज्यों में विविध न्यूनतम वेतन हैं। वेतन पर कोड के माध्यम से न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। न्यूनतम वेतन निर्धारण मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा। इससे देश में मौजूद 2000 न्यूनतम वेतन दरों में कटौती होगी और न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या कम होगी।
- ऐसे अनेक उदाहरण थे कि कम समयावधि के कारण कामगारों के दावों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब सीमा अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है और न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन आदि के दावे दाखिल करने को एक समान

बनाया गया है। फिलहाल दावों की अवधि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच है।

4. बाघों की संख्या पर रिपोर्ट

- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2019, के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी इस प्रकार देखा जाए तो पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है।
- बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश (526) प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक (524) एवं उत्तराखण्ड (442) का स्थान है।
- बाघों की गणना को लेकर इससे पहले साल 2006, साल 2010 और साल 2014 में रिपोर्ट जारी हो चुकी है। देश में बाघों के संरक्षण का यह काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) की देखरेख में ही चल रहा है।
- पिछले 100 सालों में बाघों की आबादी का लगभग 97 प्रतिशत खत्म हो चुकी है। 'वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड' और 'ग्लोबल टाइगर फोरम' के साल 2016 के आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में करीब 6000 बाघ ही बचे हैं, जिनमें से 3891 बाघ भारत में हैं। बाघों की संख्या साल 1915 में एक लाख थी।
- बाघों की कुछ प्रजातियां पहले ही खत्म (विलुप्त) हो चुकी हैं। भारत उन देशों में शामिल है जिसमे बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत, नेपाल, रूस और भूटान में पिछले कुछ समय से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गयी है।

5. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

- लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पारित हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता प्राधिकरणों की स्थापना करने के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। इस विधेयक के पारित होने से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिलेगा। सरकार उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के पक्ष में है।
- इस विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का प्रस्ताव है। इसमें प्राधिकरण को शिकायत की जांच करने और आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होगा। यह गलत सूचना देने वाले विज्ञापनों, व्यापार के गलत तरीकों तथा उपभोक्ताओं के अधिकार के उल्लंघन के मामलों का नियमन करेगा। प्राधिकरण को गलतफहमी पैदा करने वाले या झूठे विज्ञापनों के निर्माताओं या उनको समर्थन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा दो वर्ष कारावास का दंड लगाने का अधिकार होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के अधिकार निम्नलिखित हैं-

- ❑ उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जाँच करना
- ❑ असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना
- ❑ अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना
- ❑ भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता/समर्थक/प्रकाशक पर जुर्माना लगाना
- ❑ सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया
- ❑ आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है-
- ❑ जिला आयोग -1 करोड़ रुपये तक
- ❑ राज्य आयोग- 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक
- ❑ राष्ट्रीय आयोग -10 करोड़ रुपये से अधिक

- दाखिल करने के 21 दिनों के बाद शिकायत की स्वतः स्वीकार्यता
- उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों को लागू कराने का अधिकार
- दूसरे चरण के बाद केवल कानून के सवाल पर अपील का अधिकार
- उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी
- निवास स्थान से फाइलिंग की सुविधा, ई फाइलिंग
- सुनवाई के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग की सुविधा
- एक वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र
- उपभोक्ता फोरम द्वारा मध्यस्थता का संदर्भ जहां भी शुरू में ही समाधान की गुंजाइश है और दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हैं।
- मध्यस्थता केंद्रों को उपभोक्ता फोरम से जोड़ा जाएगा
- मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले समाधान में अपील की सुविधा नहीं
- यदि कोई उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता हैं तो उत्पाद निर्माता/विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

- वर्तमान में न्याय के लिए उपभोक्ता के पास एक ही विकल्प है, जिसमें काफी समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है।
  - नए युग के उपभोक्ता मुद्दों- ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान।

6. तीन तलाक विधेयक, 2019

- विधेयक में एक साथ, अचानक 'तीन तलाक' दिए जाने को अपराध करार दिया गया है। इस अपराध में दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस विरोध में सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- विधेयक के तहत किये गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं-
  - इस विधेयक में तीन तलाक को अपराध माना गया है। तीन तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुषों को सजा देने का प्रावधान किया गया है।
  - इस विधेयक में तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है।
  - विधेयक के तहत नाबालिग बच्चों को पीड़ित महिला अपने पास रख सकती है। मजिस्ट्रेट इसके बारे में फैसला करेगा।
  - मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
  - इस विधेयक के तहत सजा का प्रावधान तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी शिकायत करे।
  - पीड़ित महिला विधेयक के तहत पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। मजिस्ट्रेट द्वारा गुजारा भत्ते की राशि तय की जायेगी।

7. चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने को मंजूरी

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है : एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना। लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाजार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/ संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है।
  - इसके अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि शेष बचता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।
- **इसके लाभ को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-**
  - चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
  - चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी।
  - घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
  - चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंजूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।
- उल्लेखनीय है कि चीनी उत्पादन वर्ष 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है। लेकिन आगामी चीनी उत्पादन वर्ष 2019-20 बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने/ प्रारंभिक स्टॉक के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार योजना में भाग लेने वाली चीनी मिलों को लगभग 1674 करोड़ रुपये की रखाव लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे चीनी मिलों की तरलता स्थिति में सुधार होगा। योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिपूर्ति किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए उनके खातों में चीनी मिलों द्वारा सीधा जमा किया जाएगा।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. जन्म के समय लिंगानुपात

2015-16

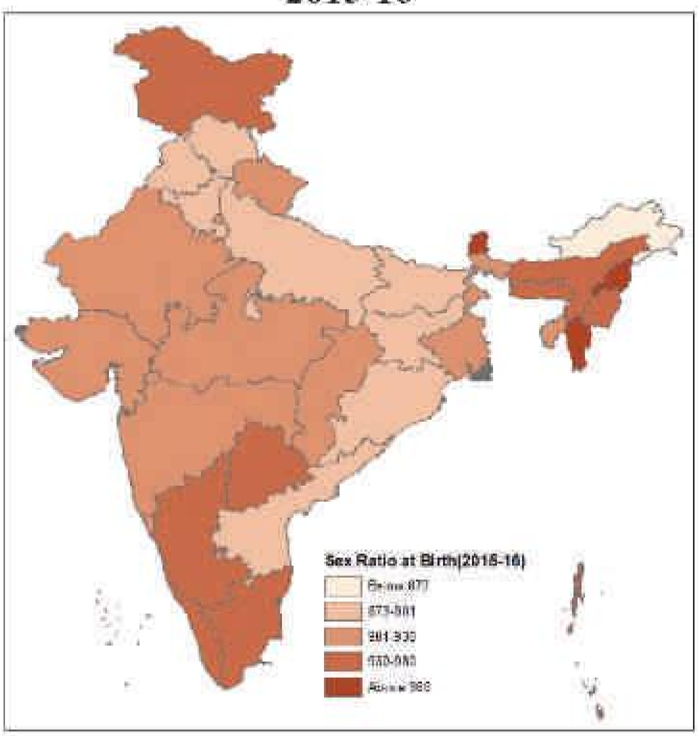

2018-19

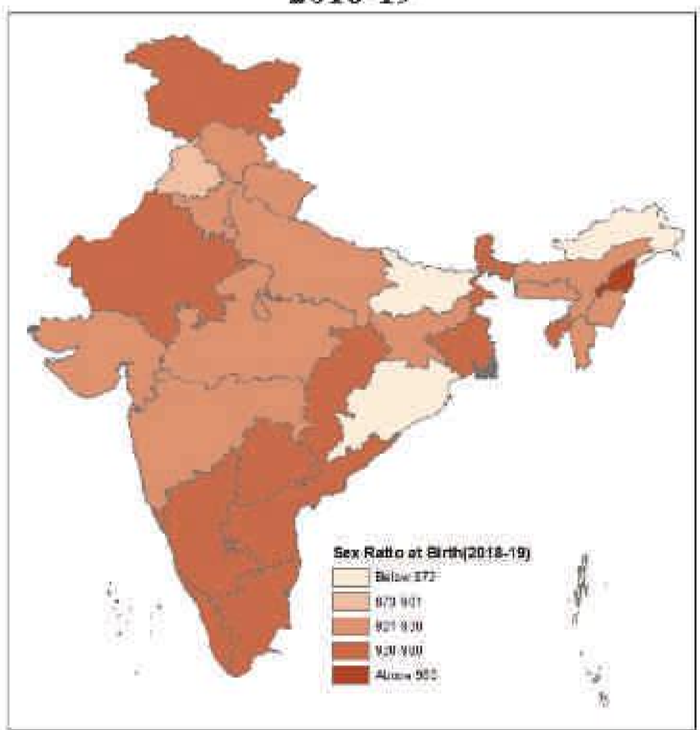

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त।

टिप्पणी: एसआरबी आंकड़े बीबीबीपी जिलों के औसत के आधार पर परिकलित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- बाल लिंगानुपात में गिरावट एवं बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इस अभियान की शुरूआत पानीपत, हरियाणा से की गई थी, जहाँ पर 919 (2011 की जनगणना के अनुसार) के राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात की तुलना में भारतीय राज्यों में सबसे खराब स्थिति थी जिसका अनुपात प्रति हजार 834 दर्ज किया गया था।
- शुरूआत में योजना को वर्ष 2015 में 100 जिलों में शुरू किया गया था जिसका बाद में 61 अतिरिक्त जिलों में विस्तार किया गया। इस पहल को 8 मार्च, 2018 को झुंझुनू, राजस्थान से देश के सभी जिलों में लागू किया गया।
- उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे बड़े राज्यों पर विचार करें तो पाएंगे कि वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनगणनाओं के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2015-16 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरूआत के समय इनमें जन्म के समय लिंगानुपात सबसे खराब था जैसा कि उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है।
- लेकिन वर्ष 2018-19 तक इन सभी राज्यों ने वर्ष 2015-16 और वर्ष 2018-19 के बीच जन्म दर लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज करते हुए अपनी प्रवृत्ति का उलट असर दिखाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का असर यह हुआ कि बहुत खराब बाल लिंग अनुपात वाले बड़े राज्यों में सुधार हुआ है। गौरतलब है कि ये वे राज्य हैं जहाँ महिलाओं को लेकर इनके सामाजिक मानकों पर अत्यधिक फोकस की भी आवश्यकता थी।
- जिन 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू में लागू किया गया था उसका प्रभाव 2018-19 तक सकारात्मक रहा है। जन्म के समय लिंगानुपात 4 वर्ष के भीतर अर्थात वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक 107 जिलों में बेहतर हुआ है। औसतन, 161 जिलों का लिंगानुपात वर्ष 2015-16 में 909 से बढ़कर 2018-19 में 919 हो गया है।

2. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) कवरेज

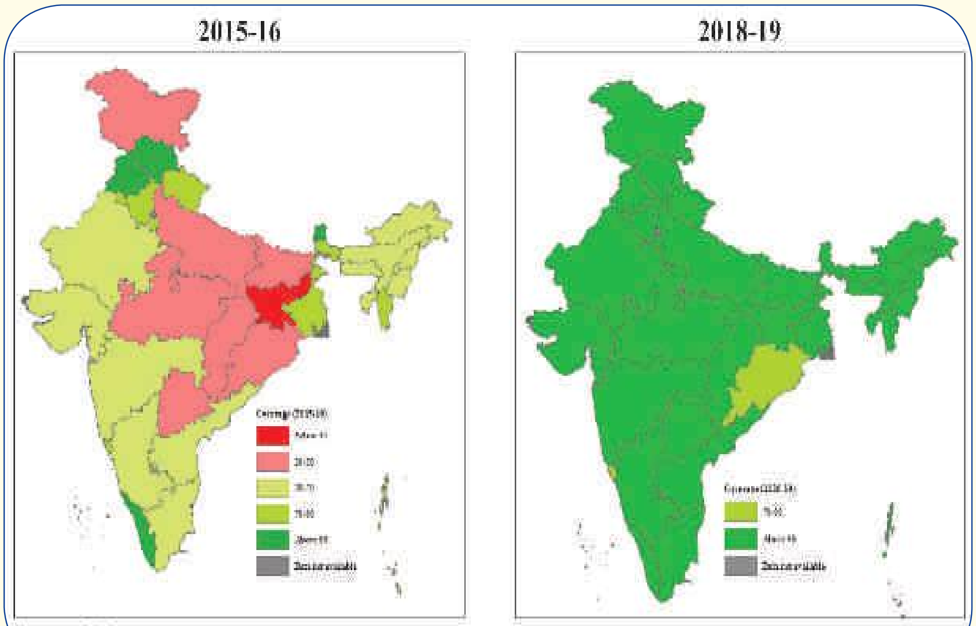

स्रोत: एसओडीडब्ल्यूएस

महत्वपूर्ण तथ्य

- स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल शौचालयों की व्यवस्था करने में बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सफलता हासिल की है कि इन शौचालयों का उपयोग भी किया जाए।
- राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2018-19 के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के स्वतंत्र सत्यापन में पाया गया है कि 93.1 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय उपलब्ध हैं।
- ग्रामीण भारत में इनमें से 96.5 प्रतिशत परिवार शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। इससे उन 90.7 प्रतिशत ग्रामों की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की फिर से पुष्टि होती है जिन्हें पूर्व में विभिन्न जिलों/राज्यों द्वारा खुले में शौच मुक्त घोषित एवं सत्यापित किया गया था।
- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट और प्रत्येक राज्य के गांवों का प्रतिशत जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, में राज्य-वार इस वृद्धि को दर्शाने वाले चार्ट से भी यह बात स्पष्ट है।

3. भारत में जनसंख्या संघटन (2011-2041)

महत्वपूर्ण तथ्य

- चित्र वस्तुत: यह दर्शाता है कि कार्यकारी आयु जनसंख्या (20-59 वर्ष) जिसका हिस्सा 2011 में कुल जनसंख्या का 50.5 प्रतिशत था, 2041 में बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा।
- भारत की जनसंख्या में 0-19 वर्ष के बीच की आयु के युवाओं का हिस्सा पहले से ही घटना शुरू हो गया है और अनुमान है कि यह 2011 के उच्चतम स्तर 41 प्रतिशत से घटकर 2041 तक 25.2 प्रतिशत तक रह जाएगा।
- वहीं 60 वर्ष और ऊपर के बुजुर्गों की जनसंख्या स्थिरता से बढ़ती रहेगी, जो 2011 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2041 में दोगुनी हो जाएगी। भारत का जनांकिकीय लाभांश लगभग 2041 में अपने चरम पर होगा, जब कामगार-आयु (20-59 वर्ष), जनसंख्या का हिस्सा 2041 में 59 प्रतिशत होने का अनुमान है।

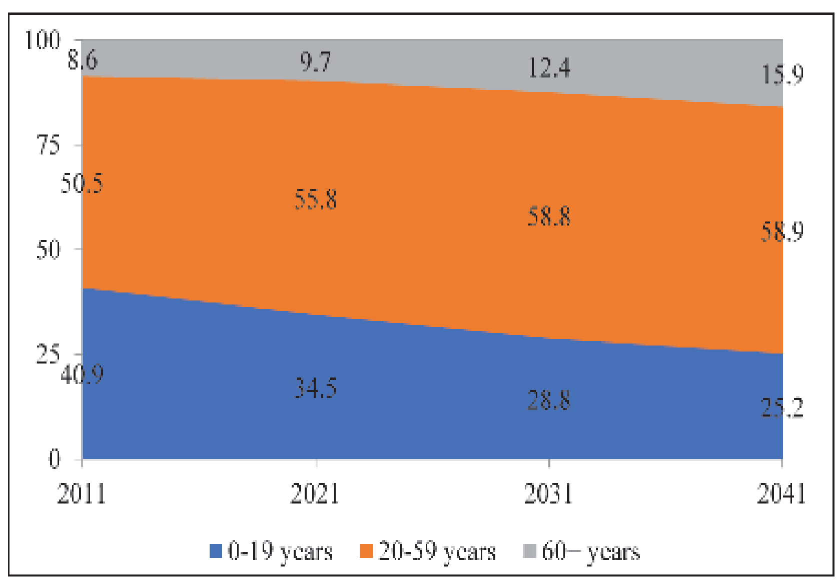

स्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त परिकलन

- सभी प्रमुख राज्यों में युवा जनसंख्या के हिस्से में गिरावट होने की संभावना है और अगले दो दशकों में बुजुर्गों की जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनांकिकीय परिवर्तन के दौर में आगे राज्यों में 2041 तक हिमाचल-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या एक-चौथाई और 60 वर्ष और ज्यादा की आयु वर्ग का हिस्सा एक-पाँचवा या उससे अधिक होगा।
- 2041 तक जनांकिकीय परिवर्तन के पूर्व चरण में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में युवा जनसंख्या के हिस्से में भी गिरावट देखी जाएगी, तथापि यह तुलनात्मक रूप से अधिक रहेंगे और बिहार में यह दर अधिकतम 30 प्रतिशत होगी। उसी दौरान, इन राज्यों में 2041 तक बुजुर्गों की जनसंख्या का हिस्सा 15 प्रतिशत से कम रहेगा।

4. भारत में कुल संस्थापित क्षमता में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का अंश

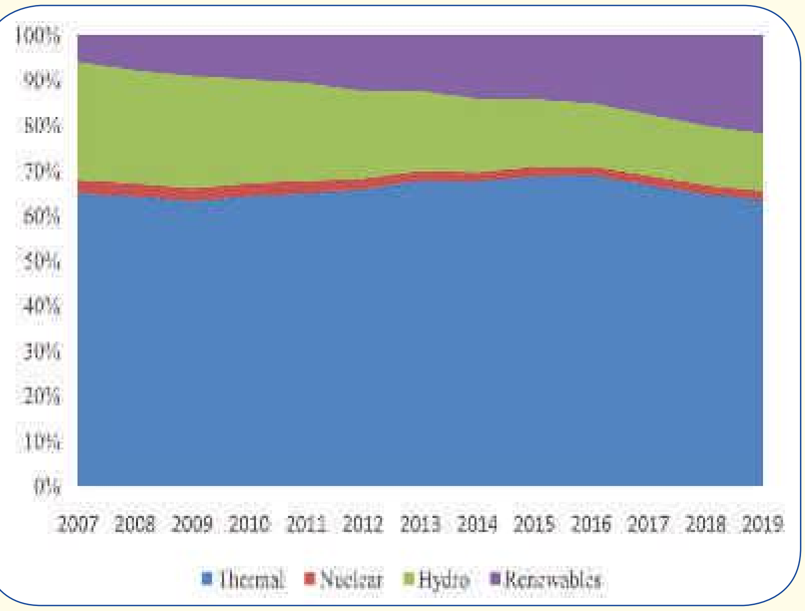

महत्वपूर्ण तथ्य

- विद्युत उत्पादन हेतु गैर-जैविक ईंधन स्रोतों पर विश्व भर में ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके बावजूद विश्व में विद्युत उत्पादन के लिए वर्ष 2018 (आईईए 2019) में बाजार अंश में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कोयला अभी भी सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।
- संस्थापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत तापीय विद्युत है जिसमें से मुख्य घटक कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है।
- भारत में लगभग 145320 मेगावाट की जल विद्युत संभाव्यता है जिसमें से 45400 मेगावाट का उपयोग किया जा रहा है।
- पेरिस समझौते के तहत भारत ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वह वर्ष 2030 तक गैर-जैविक ईंधनों से 40 प्रतिशत संस्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करेगा।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यद्यपि अक्षय ऊर्जा क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो रही है परंतु जैविक ईंधन, विशेष रूप से कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा।
- कुल उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा (25 मेगावाट के ऊपर हाइड्रो को छोड़कर) वर्ष 2014-15 में लगभग 6% की तुलना में वर्ष 2018-19 में लगभग 10% था। अब, भारत वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा में चौथे, सौर ऊर्जा में पाँचवें और अक्षय ऊर्जा में को पाँचवें स्थान पर आता है।

5. 2017-18 में ऊर्जा बचत का प्रभाव

महत्वपूर्ण तथ्य

- विभिन्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से ऊर्जा खपत को कम करने की दृष्टि से असाधारण निष्पादन देखा गया जिससे ग्रीनहाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी आई तथा परिणामस्वरूप लागत में कमी आई है।
- बीईई (Bureau of Energy Efficiency) के अध्ययन के अनुसार 2017-18 में कुल मिलाकर इस बचत के परिणामस्वरूप कुल लागत बचत 53000.18 (लगभग) करोड़ रुपये के मूल्य की हुई है और 108.57 मिलियन टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी का योगदान हुआ है।

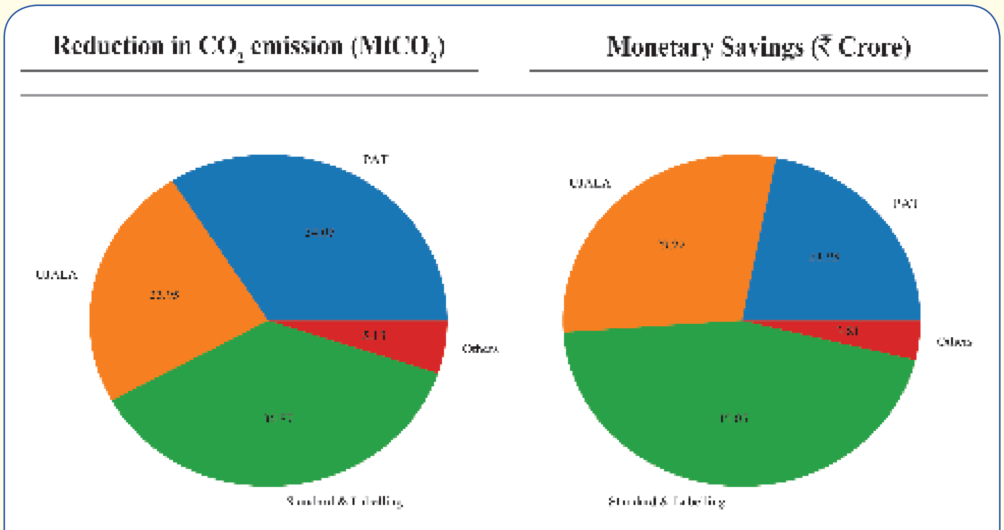

स्रोतः ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो।

- यह मुख्यतः तीन बड़े कार्यक्रमों का योगदान है: पीएटी (Performe Achieve and Trade), उजाला और मानक और लेबलिंग का। 2017-18 में ऊर्जा दक्षता उपाय के कारण कुल विद्युत बचत शुद्ध विद्युत खपत का 7.21 प्रतिशत है। शुद्ध थर्मल ऊर्जा खपत का कुल थर्मल ऊर्जा बचत 2.7 प्रतिशत है और शुद्ध ऊर्जा आपूर्ति का 2.0 प्रतिशत है।
- ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए ऊर्जा गहन उद्योगों को अनिवार्य लक्ष्य दिये गए। पीएटी चक्र-1 वर्ष 2015 में पूरा हुआ जिसमें 8.67 मिलियन टन के तेल के बराबर बचत हुई और लगभग 30 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई।
- अप्रैल 2019 में PAT चक्र-5 शुरू हो चुका है और वर्ष 2020 तक उम्मीद की जा रही है कि लगभग 70 मिलियन टन की कमी कार्बन उत्सर्जन में आएगी।

6. वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2017 में संधारणीय मानव विकास सूचकांक

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2017 में मध्य भारत के एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) में काफी सुधार हुआ है। भारत का एचडीआई 0.427 से बढ़कर 0.640 हो गया है, लेकिन इसके समकक्ष देशों (एशियाई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं) में इसकी स्थिति न्यूनतम ही है।
- यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के अनुसार, भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर है।
- इसके अलावा भारत क्षेत्रीय और मानव विकास में अंतर-राज्य विषमताओं को भी दर्शाता है, जो राज्य स्तरीय एचडीआई द्वारा परिलक्षित होता है।

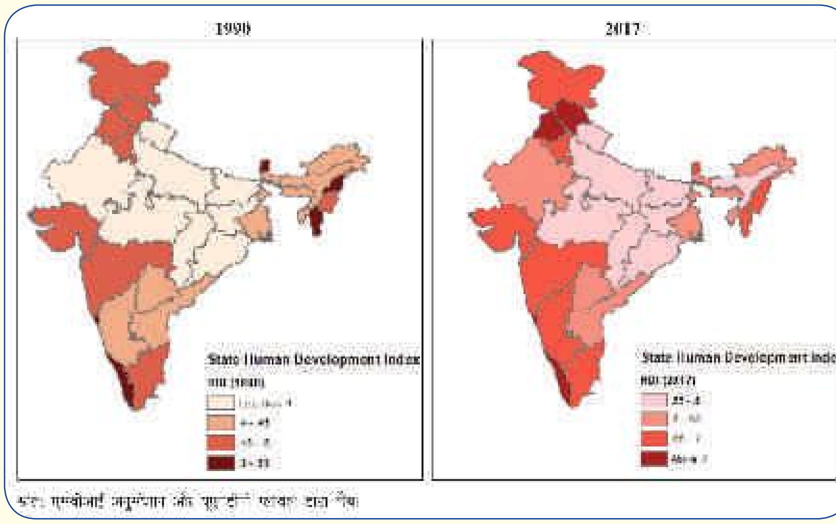

- यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 और वर्ष 2017 की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों के संबंध में जारी किए गए उपराष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक (एसएचडीआई) से यह पता चलता है कि सभी राज्यों ने मानव विकास के स्तरों में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
- वर्ष 2017 के एचडीआई प्राप्तांक (स्कोर) यह इंगित करते हैं कि केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य शीर्ष चार स्थानों पर काबिज हैं जबकि बिहार, यूपी, और एमपी जैसे राज्य रैंकिंग में सबसे नीचे है।
- नब्बे के दशक के दौरान मानव विकास सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य वर्तमान में सामाजिक मापदंडों में अच्छा कर रहे हैं।

7. भारत और विश्व में जीडीपी में वृद्धि

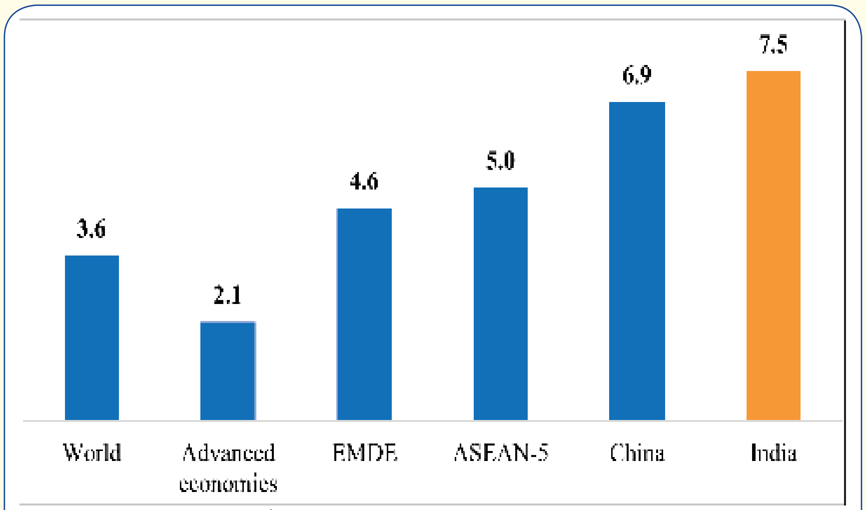

डाटा स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल, 2019 आईएमएफ।

टिप्पणी: (1) ईएमडीई-उभरते हुए बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्था; (2) आसियान-5 के पांच देश: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व उत्पादन (World Output) वर्ष 2014 में 3.6 प्रतिशत बढ़ा था और यह स्थिति पुन: वर्ष 2018 में भी रही। इस अवधि में जब विश्व में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दिया है, फिर भी, भारत ने कई बड़े-बड़े कदम उठाए हैं। भारत चीन से उच्च दर पर संवृद्धि करने वाली और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसने विश्व में तेजी से संवृद्धि विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होने का तमगा हासिल किया है।
- इन पाँच वर्षों में औसत मुद्रास्फीति पिछले पाँच वर्षों की मुद्रास्फीति की दर के आधे से कम है, देश के स्वतंत्रता पश्चात् के इतिहास में ये निम्न स्तर पर है।
- चालू खाता घाटा (सीएडी) नियंत्रण के भीतर है और विदेशी विनिमय उच्चतम रिजर्व स्तर पर है।
- फरवरी, 2015 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), के बीच एक करार का पालन करते हुए एक वित्तीय नीतिगत समिति (एनपीसी) गठित की गई थी। मुद्रास्फीति नियंत्रण में यह फ्रेमवर्क बहुत सफल बन गया है। अप्रैल, 2015 से जब एनपीसी की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, मासिक शीर्ष मुद्रास्फीति एक माह को छोड़कर, हमेशा बैंड (4 प्रतिशत) के भीतर रही है।
- सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) पर भी यह अनुशासन लागू किया गया। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम जिसने 2016 में एक नया जीवन प्राप्त किया है, यह 3 प्रतिशत के संभावित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीएफडी/जीडीपी अनुपात के पथ को निर्धारित करता है।
- 2013-14 में अनुपात 4.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत हो गया है, अन्य समष्टि स्थिरता सूचकांकों में भी इसी तरह का सुधार हुआ है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

फिर लहराया परचम

पिछले वर्ष हमने बुलंदियां छुई
और इस वर्ष बनाए कुछ नए कीर्तिमान

2017 में 120+ सफलताओं के बाद UPSC-2018 में भी 122+ चयन

AIR 1 KANISHAK KATARIA

AIR 3 JUNAID AHMED

ADMISSIONS OPEN FOR *NEW SESSION 2019-20*

MUKHERJEE NAGAR (DELHI)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
16 AUG | 2:30 PM

LAXMI NAGAR (DELHI)
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM
UP PCS TARGET FOR PRE
22 AUG | 6 PM

PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
1 SEP | 5:30 PM
Focus Pre Batch
19 AUG | 5:30 PM

LIVE STREAMING
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM

LUCKNOW (ALIGANJ)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM

LUCKNOW (GOMTI NAGAR)
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 5:30 PM

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES
TARGET 2020
18th AUGUST 2019
TOTAL 37 TESTS

वैकल्पिक विषय
- समाजशास्त्र
- इतिहास
- भूगोल
- राजनीति विज्ञान
- हिन्दी साहित्य

Face to Face Centres
DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres
BIHAR : PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400
YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

धेयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

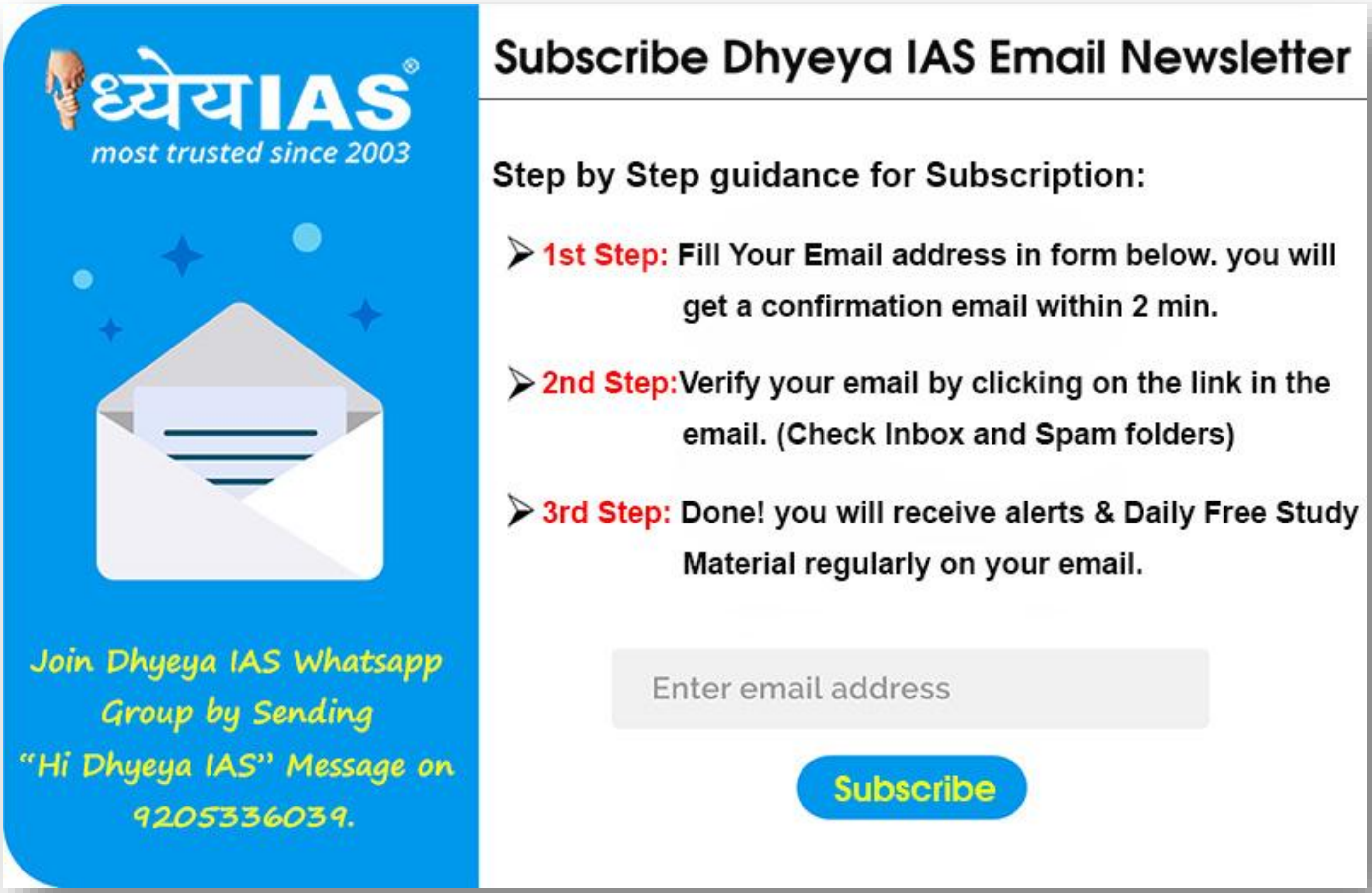

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174442 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400